रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 260] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 24, 2015/वैशाख 4, 1937
No. 260] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 24, 2015 /VAISAKHA 4, 1937

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 2015

सा.का.नि.321(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग समूह "क" राजपत्रित पद (अननुसचिवीय), वैज्ञानिक और तकनीकी) भर्ती नियम, 1988 को उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, राष्ट्रपति, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में वैज्ञानिकों के पदों की भर्ती की पद्धति के विनियमन हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, वैज्ञानिक, समूह "क" पद भर्ती नियम, 2015 होगा।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. परिभाषाएं: इन नियमों में जबतक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) **''केंद्र सरकार''** से भारत सरकार, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अभिप्रेत है;

(ख) **"फील्ड अनुभव"** से सुनम्य पूरक प्रोन्नतियों के प्रयोजन हेत निम्नलिखित अभिप्रेत है, और उसके अंतर्गत हैं:—

(i) वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं अथवा संस्थानों (जैसेकि राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, (एनआईडब्ल्यूई), राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा संस्थान (एनआईआरई) अथवा राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान (एनआईएसई) {पूर्वतः नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन सौर ऊर्जा केन्द्र—(एसईसी) के रूप में ज्ञात } अथवा ऐसा अन्य कोई वैज्ञानिक संस्थान इसके प्रादेशिक कार्यालयों सहित) में कार्य अनुभव, किसी संगठन में भर्ती के बाद मूल अथवा अनुप्रयुक्त अनुसंधान में डॉक्टरेट डिग्री अथवा पोस्ट डॉक्टरेट अनुसंधान में व्यतीत की गई अवधि ;

(ii) नई अथवा अनुवर्ती काल में सुधार हेतु सामग्री, युक्ति, उत्पाद, प्रोसेस, प्रणाली अथवा सेवा, जिसमें नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैज्ञानिक ज्ञान का अनुप्रयोग अंतर्वलित है, के उत्पादन की दिशा में निदेशित वैज्ञानिक ज्ञान के अनुप्रयोग हेतु परीक्षणात्मक विकास में कार्य अनुभव; और

(iii) अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं अथवा संस्थानों, मिशन मोड में परिचालित वैज्ञानिक परियोजनाओं में कार्य अनुभव तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनुसंधान और विकास परियोजनाओं अथवा वैज्ञानिक कार्य में कार्य और सहायता का अनुभव;

(ग) **"प्रबंधकीय क्षमता"** से वरिष्ठ स्तर पर, गुणवत्तापूर्ण विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों को साथ जोड़ने संबंधी मुद्दों की स्पष्ट समझ के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी गतिविधियों के प्रबंधन और समन्वयन की योग्यता तथा अधीनस्थों को निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रदान करने की योग्यता और उनको उच्चतर स्तर का उत्तरदायित्व संभालने हेतु तैयार करने की योग्यता;

(घ) **"अनुसंधान और विकास अनुभव"** से सीधी भर्ती अथवा प्रतिनियुक्ति के प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत हैं :–

(i) वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं अथवा संस्थानों में कार्य अनुभव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित मूल अनुसंधान में डॉक्टोरल अथवा पोस्ट डॉक्टोरल डिग्री के संबंध में व्यतीत की गई अवधि;

(ii) वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं अथवा संस्थानों में कार्य अनुभव, अनुप्रयुक्त अनुसंधान में डॉक्टोरल अथवा पोस्ट डॉक्टोरल डिग्री के संबंध में व्यतीत की गई अवधि ;

(iii) किसी नई अथवा भरपूर उन्नत सामग्री, युक्ति, उत्पाद, प्रोसेस, प्रणाली अथवा सेवा के उत्पादन की दिशा में निदेशित वैज्ञानिक ज्ञान के अनुप्रयोग हेतु परीक्षणात्मक विकास में कार्य अनुभव जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा से संबंधित है, परंतु ऐसा कार्य वैज्ञानिक ज्ञान के नेमी उपयोग का नहीं, लेकिन नई आविष्कारी प्रणालियों, पद्धतियों, प्रतिदर्शों के सृजन हेतु वैज्ञानिक ज्ञान में अनुप्रयोग का है ;

(iv) अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं और संस्थानों, मिशन मोड में परिचालित वैज्ञानिक परियोजनाओं में कार्य अनुभव, अंतरराष्ट्रीय सहयोग के अनुसंधान एवं विकास में कार्य का अनुभव ;

(v) वैज्ञानिक अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं अथवा किसी संस्थान अथवा विश्वविद्यालय में किसी पोस्ट–डॉक्टोरल अनुसंधान परियोजना में पूर्ण कालिक कार्य अनुभव, जो ऐसे संस्थान अथवा विश्वविद्यालय से प्रमाणन द्वारा प्रमाणित हो और प्रतिष्ठित पत्र–पत्रिका में अनुसंधान कार्य का प्रकाशन;

(ड़) **"संशोधित सुनम्य सम्पूरक स्कीम" (एफसीएस)** से कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा ओ.एम. सं. एबी–14017/37/2008–एस्ट. (आरआर) तारीख 10 सितम्बर, 2010, को यथाअधिसूचित स्कीम अभिप्रेत है;

(च) "वैज्ञानिक अथवा अभियंता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो :–

(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से प्राकृतिक अथवा कृषि विज्ञान में मास्टर डिग्री अथवा अभियांत्रिकी अथवा प्रौद्योगिकी अथवा चिकित्सा में स्नातक डिग्री की शैक्षिक योग्यता रखता है ; तथा

(ख) वैज्ञानिक पद धारक हैं ;

(छ) "वैज्ञानिक पद" से वह पद अभिप्रेत है, जिसमें पदधारी किसी वैज्ञानिक संस्था अथवा वैज्ञानिक विभाग अथवा संगठन के रूप में घोषित संगठन में कार्यरत वैज्ञानिक अथवा अभियंता है तथा जो नव वैज्ञानिक ज्ञान अथवा आविष्कारी अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकीय अथवा चिकित्सा तकनीकों के सृजन में कार्यरत है अथवा जो वृतिक अनुसंधान कार्य और विकास में प्रमुख रूप से सम्मिलित है;

(ज) "वैज्ञानिक गतिविधियां अथवा सेवाएं" से निम्नलिखित अभिप्रेत है तथा उसमें सम्मिलित हैं अर्थात् :–

(i) आधारभूत अथवा मूल अनुसंधान अर्थात नया वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त करने हेतु मौलिक अन्वेषण, जो किसी प्रायोगिक लक्ष्य अथवा अनुप्रयोग की दिशा में निदेशित होना आवश्यक नहीं है; वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं अथवा संस्थान में कार्य, मूल अनुसंधान में डॉक्टोरल अथवा पोस्ट–डॉक्टोरल डिग्री के संबंध में व्यतीत किया गया समय;

(ii) अनुप्रयुक्त अनुसंधान, अर्थात किसी विशिष्ट प्रायोगिक लक्ष्य अथवा उद्देश्य की दिशा में निदेशित नया वैज्ञानिक अथवा तकनीकी ज्ञान प्राप्त करने हेतु मौलिक अन्वेषण; वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं अथवा संस्थान में कार्य, अनुप्रयुक्त अनुसंधान में डॉक्टोरल अथवा पोस्ट–डॉक्टोरल डिग्री के संबंध में व्यतीत किया गया समय;

(iii) परीक्षणात्मक विकास, अर्थात किसी नई अथवा भरपूर उन्नत सामग्री, युक्ति, उत्पाद, प्रोसेस, प्रणाली अथवा सेवा के उत्पादन की दिशा में निदेशित वैज्ञानिक ज्ञान का अनुप्रयोग या फील्ड अनुभव जो विभाग के कार्य प्रोफाइल पर निर्भर है।

स्पष्टीकरण – इस उपबंध के प्रयोजनार्थ, यह स्पष्ट किया जाता है कि परीक्षणात्मक विकास से संबंधित कार्य वैज्ञानिक ज्ञान के नेमी उपयोग का नहीं होगा, परंतु नई आविष्कारी प्रणालियों, पद्धतियों, प्रतिदर्शों के सृजन हेतु वैज्ञानिक ज्ञान के अनुप्रयोग से संबंधित होगा;

(iv) वैज्ञानिक और तकनीकी गतिविधियां, जो वैज्ञानिक गतिविधियां और सेवाओं को प्रोत्साहन की दृष्टि से अनुसंधान तथा विकास के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंधित हैं, जैसे कि अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं तथा संस्थाओं, मिशन मोड में परिचालित वैज्ञानिक परियोजनाओ में कार्य करना, अंतरराष्ट्रीय सहयोग की अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं इत्यादि में कार्य करना;

(झ) "अनुसूची" से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन बैंड, ग्रेड वेतन अथवा वेतन मान – (1) पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतन मान नीचे विनिर्दिष्ट अनुसार संलग्न होगाः

क्रमांक	पद का नाम	वर्गीकरण	पदों की संख्या	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतन मान
1	वैज्ञानिक "जी"	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" (अननुसचिवीय, वैज्ञानिक तथा तकनीकी)	06 * (2015)	वेतन बैंड–4, 37400–67000/–रू. जमा ग्रेड वेतन 10,000 रू.
2	वैज्ञानिक "एफ"	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" (अननुसचिवीय, वैज्ञानिक तथा तकनीकी)	11 * (2015)	वेतन बैंड–4, 37400–67000 रू. जमा ग्रेड वेतन 8900 रू.
3	वैज्ञानिक "ई"	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" (अननुसचिवीय, वैज्ञानिक तथा तकनीकी)	15 * (2015)	वेतन बैंड–4, 37400–67000 रू. जमा ग्रेड वेतन 8700 रू.
4	वैज्ञानिक "डी"	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" (अननुसचिवीय, वैज्ञानिक तथा तकनीकी)	16 * (2015)	वेतन बैंड–3, 15600–39100 रू. जमा ग्रेड वेतन 7,600 रू.
5	वैज्ञानिक "सी"	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" (अननुसचिवीय, वैज्ञानिक तथा तकनीकी)	20 * (2015)	वेतन बैंड–3, 15600–39100 रू. जमा ग्रेड वेतन 6,600 रू.
6	वैज्ञानिक "बी"	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह "क" (अननुसचिवीय, वैज्ञानिक तथा तकनीकी)	20 * (2015)	वेतन बैंड–3, 15600–39100 रू. जमा ग्रेड वेतन 5,400 रू.
योग			**88**	

***कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।**

(2) वैज्ञानिक "बी" से "जी" तक स्वीकृत पदों की कुल संख्या 88 होगी :

परंतु एफसीएस के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नति के आधार पर इन स्तरों पर पदों के बीच पूर्ण अंतर – परिवर्तनीयता होगी, जो वैज्ञानिक "जी" से "बी" तक के पदों की संख्या कुल मिलाकर कुल स्वीकृत संख्या से अधिक नहीं होने की शर्त के अधीन होगी।

(3) सुनम्य सम्पूरक स्कीम (एफसीएस) के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नति संबंधित अधिकारी के लिए व्यक्तिगत होगी तथा उस आधार पर निम्नतर ग्रेड में विशिष्ट रिक्ति की परिणामी नहीं होगी।

(4) संबंधित अधिकारी द्वारा धारित वर्तमान पद समुन्नत किया जाएगा तथा उसके द्वारा स्वस्थाने पद धारण करने की अवधि में उसके लिए व्यक्तिगत होगा।

(5) अधिवर्षिता, त्यागपत्र अथवा अधिकारी की मृत्यु के कारण सृजित होने वाली रिक्ति के परिणामस्वरूप पद मूल स्थिति में प्रत्यावर्तित हो जाएगा।

4. भर्ती की पद्धति – (1) वैज्ञानिक "जी" से "बी" तक के पद चयन पद होंगे।

(2) ये पद नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में वैज्ञानिकों की भर्ती, प्रतिनियुक्ति, प्रोन्नति द्वारा उनकी नियुक्ति के लिए परामर्श के प्रयोजन हेतु संघ लोक सेवा आयोग के अधिकारक्षेत्र से मुक्त होंगे।
(3) वैज्ञानिक "बी" के पद हेतु भर्ती, सीधी भर्ती, द्वारा की जाएगी, जैसाकि **अनुसूची–I** में विनिर्दिष्ट है।
(4) वैज्ञानिक "सी" से "जी" तक के पद हेतु भर्ती सुनम्य सम्पूरक स्कीम एफसीएस (नियम 5) के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नति द्वारा अथवा सीधी भर्ती अथवा प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) अथवा आमेलन द्वारा की जाएगी, जैसा कि **अनुसूची–II** में विनिर्दिष्ट है।
(5) प्रत्येक पद हेतु भर्ती की पद्धति अथवा प्रत्येक मामले का निर्णय केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर किया जाएगा।
(6) प्रत्येक पद हेतु अनिवार्य शैक्षिक योग्यताओं तथा अनुभव की विशिष्ट शाखा अथवा क्षेत्र अथवा प्रत्येक मामले का निर्णय केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में वैज्ञानिकों की उपलब्धता और क्षेत्र–विशेष में वैज्ञानिकों की और अपेक्षा को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

(7) पूर्व–सैनिक की भर्ती, पुनःसेवायोजन आधार पर, केन्द्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार की जा सकती है।

5. प्रोन्नति – वैज्ञानिकों की प्रोन्नतियां **अनुसूची– III** में विनिर्दिष्ट एफसीएस के उपबंधों द्वारा विनियमित होंगी।

6. **वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन/ वार्षिक कार्य निष्पादन आकलन प्रतिवेदन और वार्षिक कार्य प्रतिवेदन**– वैज्ञानिकों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदनों अथवा वार्षिक कार्य निष्पादन आकलन प्रतिवेदनों और वार्षिक कार्य प्रतिवेदनों को समय–समय पर केन्द्रीय सरकार या कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा विहित अनुदेशों, समय–सीमाओं और प्ररूपों के अनुसार अभिलिखित किया जाएगा।

7. **परिवीक्षा**– (1) सेवा में नियुक्त होने पर प्रत्येक वैज्ञानिक, चाहे वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त हुआ हो अथवा समूह 'ख' वेतनमान से प्रोन्नति द्वारा, दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा :

परन्तु, संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी, इस संबंध में, समय–समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकेगा'

परंतु यह और कि, किसी परिवीक्षा अवधि को बढ़ाने का निर्णय पूर्व परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने के बाद सामान्यतया आठ सप्ताह के भीतर लिया जाएगा और इसे उक्त अवधि के भीतर ऐसा करने के कारणों को बताते हुए संबंधित अधिकारी को लिखित में सूचित किया जाएगा।

(2) परिवीक्षा अवधि या इसकी बढ़ाई गई अवधि पूरी हो जाने पर, वैज्ञानिकों को, यदि स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा जाता है, नियमित आधार पर उनकी नियुक्तियों पर बनाए रखा जाएगा और उपलब्ध मूल रिक्तियों पर स्थायी कर दिया जाएगा।

(3) यदि, यथास्थिति, परिवीक्षा अवधि या इसकी बढ़ाई गई अवधि, के दौरान, केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि कोई वैज्ञानिक स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है, तो केन्द्रीय सरकार, यथास्थिति, उसे सेवामुक्त कर सकती है अथवा सेवा में उसकी नियुक्ति से पहले उसके द्वारा धारित पद पर उसे वापस भेज सकती है।

(4) परिवीक्षा अवधि या इसकी बढ़ाई गई अवधि के दौरान, सरकार द्वारा वैज्ञानिकों से परिवीक्षा अवधि को संतोषजनक रूप से पूरा करने की शर्त के रूप में, ऐसे प्रशिक्षण और अनुदेश पाठ्यक्रमों को पूरा करने और ऐसी परीक्षाओं और परीक्षणों को (हिंदी की परीक्षा सहित) उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जा सकती है, जो सरकार उपयुक्त समझे।

(5) परिवीक्षा से संबंधित अन्य मामलों के संबंध में, सेवाओं के सदस्य इस संबंध में समय–समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों द्वारा विनियमित होंगे।

8. सेवा–स्थायीकरण– सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्त वैज्ञानिकों का सेवा–स्थायीकरण केन्द्रीय सरकार द्वारा विभागीय पुष्टिकरण समिति की सिफारिशों पर किया जाएगा, जिसकी संरचना निम्नलिखित होगी–

I. वैज्ञानिक "बी","सी","डी","ई" और "एफ" के लिए

1. सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	–	अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव (प्रशासन)	–	सदस्य
3. समूह प्रमुख/प्रभाग प्रमुख जिसमें संबंधित वैज्ञानिक कार्य कर रहा है अथवा उसने कार्य किया है (वैज्ञानिक 'ई' और 'एफ' के मामले में संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के)	–	सदस्य

II. वैज्ञानिक 'जी' के लिए

1. सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	–	अध्यक्ष
2. भारत सरकार में अपर सचिव के स्तर के दो सदस्य	–	सदस्य

9. नियुक्ति प्राधिकारी–

वैज्ञानिक **"बी","सी","डी","ई","एफ" और 'जी'** के मामले में, नियुक्ति प्राधिकारी प्रभारी मंत्री होंगे। (समतिथि के अनुसार रू. 10,000/– या उससे ऊपर ग्रेड–वेतन वाले पद की नियुक्ति/स्वस्थाने प्रोन्नति के मामले में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) का अनुमोदन अनिवार्य है)।

10. निरर्हता– ऐसा कोई भी व्यक्ति,

(क) जो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करता है अथवा विवाह की संविदा करता है जिसकी पत्नी/पति जीवित हो अथवा

(ख) जो, अपनी पत्नी/पति के जीवित रहते, किसी व्यक्ति के साथ विवाह करता है अथवा विवाह की संविदा करता है,

उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परंतु, यदि केन्द्र सरकार का इस बाबत यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्कीम विधि के अंतर्गत अनुमेय है और ऐसा करने के अन्य आधार मौजूद हैं, तो वह इन नियम के लागू होने से किसी व्यक्ति को छूट प्रदान कर सकती है।

11. रक्षा सेवाओं में सेवा देने का दायित्व– उक्त किसी भी पद नियुक्त कोई भी व्यक्ति, यदि अपेक्षित हुआ, तो प्रशिक्षण की अवधि, यदि कोई हो, समेत चार वर्ष से अनधिक अवधि के लिए भारत की रक्षा से जुड़ी किसी भी रक्षा सेवा या पद पर सेवा करने के लिए दायी होगा'

परंतु, ऐसे व्यक्ति की सेवा अपेक्षित नहीं होगी ;

(क) नियुक्ति की तारीख से दस वर्षों की अवधि समाप्त होने के बाद;

(ख) सामान्यतया, चालीस वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ।

12. भारत में और इससे बाहर सेवा देने का वैज्ञानिकों का दायित्व– इन नियमों के अधीन किसी कथित पद पर नियुक्त वैज्ञानिक, भारत में और इससे बाहर कही भी सेवा प्रदान करने के लिए दायी होगा।

13. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम– (1) नियुक्त वैज्ञानिकों पर भारत में और बाहर ऐसे प्रशिक्षण प्राप्त करने का दायित्व होगा जो अनुदेश के पाठ्यक्रमों में उल्लिखित किए जाएं और जो समय–समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएं।

(2) पाठ्यक्रम में समय–समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार, हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करना शामिल होगा।

(3) नए भर्ती हुए वैज्ञानिक 'ख' और वैज्ञानिक 'ग' के लिए बुनियादी पाठ्यक्रम जैसे कतिपय प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करना, जैसाकि केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाए, परिवीक्षा अवधि को पूरा करने और एफसीएस प्रोन्नतियों हेतु विचार के लिए आवश्यक होगा।

(4) पाठ्यक्रम पर प्रशिक्षण के लिए भेजे गए किसी अधिकारी पर, जिसकी अवधि छह माह या अधिक है अथवा भारत के बाहर या भारत में निजी फर्मों या कारखानों में प्रशिक्षण के लिए भेजे गए किसी अधिकारी पर, प्रशिक्षण की अवधि को ध्यान में लिए बिना, प्रशिक्षण की लागत को पूर्णतः वापस भुगतान करने का दायित्व होगा, यदि किसी कारण से प्रशिक्षण के दौरान अथवा ऐसे प्रशिक्षण के पूरा होने के बाद तीन वर्षों की अवधि के भीतर, अधिकारी सेवा को आगे जारी नहीं रखने का निर्णय लेता है।

14. चिकित्सीय मानदंडों के प्रयोजनार्थ पदों का वर्गीकरण– इन नियमों के अधीन सभी पदों को, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और केन्द्रीय सेवाओं हेतु चिकित्सीय विनियम और चिकित्सीय प्रतिवेदन में यथा विनिर्दिष्ट चिकित्सा मानदंडों के प्रयोजनार्थ गैर–तकनीकी पद माना जाएगा।

15. छूट देने की शक्ति– जहां केन्द्रीय सरकार का यह अभिमत हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, यह आदेश द्वारा और लिखित में दर्ज कारणों से और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के परामर्श से और ऐसे मामलों में, जहां संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक हो, व्यक्तियों के किसी भी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध में छूट दे सकती है।

16. व्यावृत्ति– इन नियमों में किसी भी बात का, इस संबंध में समय–समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व–सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए प्रदान किए जाने हेतु अपेक्षित आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची I

[नियम 4 का उप–नियम (3) देखें]

वैज्ञानिक 'बी' के पद हेतु भर्ती

1. सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं –

(क) अनिवार्यः

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्राकृतिक अथवा कृषि विज्ञान में मास्टर डिग्री या अभियांत्रिकी अथवा प्रौद्योगिकी अथवा चिकित्सा में स्नातक डिग्री।

(ख) वांछनीयः (1) अनुसंधान एवं विकास अथवा औद्योगिक अथवा अकादमिक संस्थानों अथवा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संस्थानों में विशेषज्ञ अनुभव। यह अनुभव पद की कार्य आवश्यकताओं के प्रति प्रासंगिक विशिष्ट प्रकृति का होगा।

(2) कार्य आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक अथवा संबंधित विषय में प्राकृतिक या कृषि विज्ञान में डॉक्टरेट की डिग्री अथवा अभियांत्रिकी या प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री।

टिप्पणी 1: पद की आवश्यकताओं के अनुसार विशिष्ट शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभवों के क्षेत्र को सरकार द्वारा नियुक्ति के समय विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

टिप्पणी 2: आवश्यक योग्यताओं को हासिल करने के लिए बिताई गई अवधि, जिनमें संस्थान के साथ जुड़ने से पहले डॉक्टरेट डिग्री शामिल है, को क्षेत्र अनुभव के रूप में नहीं गिना जाएगा।

2. सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा :–

सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।)

टिप्पणीः आयु सीमा का निर्धारण करने के लिए महत्पपूर्ण तारीख भारत में उम्मीदवारों से आवेदनों की प्राप्ति के लिए अंतिम तारीख होगी (न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र, लाहौल और स्फीति जिला और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के उप क्षेत्र तथा अंडमान एवं निकोबार अथवा लक्षद्वीप के संघ शासित क्षेत्र में बताई गई अंतिम तारीख।)

(प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति के द्वारा भर्ती के मामले में (अल्पकालिक संविदा के मामले में)/आमेलन, ग्रेड जिससे प्रतिनियुक्ति की जाती है (अल्पकालिक संविदा सहित)/आमेलन किया जाएगा – लागू नहीं)

3. सीधी भर्ती के लिए छंटनी एवं चयन प्रक्रियाः छंटनी और चयन प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी केंद्र सरकार द्वारा विहित की जाए। पात्रता समिति, छंटनी एवं शॉर्ट लिस्टिंग समिति और साक्षात्कार बोर्ड के गठन को केंद्र सरकार द्वारा विहित किया जाएगा। तथापि पात्रता समिति, छंटनी एवं शॉर्ट लिस्टिंग समिति और साक्षात्कार बोर्ड के अधिकतर सदस्य, अध्यक्ष सहित नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से बाहर के होगें। यदि आवश्यक समझा जाए, तो छंटनी प्रक्रिया में लिखित परीक्षा भी सम्मिलित होगी जिसका आयोजन केंद्र सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या किसी केंद्र सरकार के अभिकरण या संगठन के माध्यम से किया जाएगा, जिसे इस क्षेत्र में अनुभव और विशेषज्ञता हो।

4. विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के विचार के लिए): लागू नहीं

5. संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श – लागू नहीं।

अनुसूची–II

[नियम 4 का उप नियम (4) देखें]

वैज्ञानिक 'सी' से वैज्ञानिक 'जी' के पद हेतु भर्ती

1. (क) सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं (वैज्ञानिक 'सी') **-**

(क) अनिवार्य:

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्राकृतिक अथवा कृषि विज्ञान में मास्टर डिग्री या अभियांत्रिकी अथवा प्रौद्योगिकी अथवा चिकित्सा में स्नातक डिग्री ;

(ii) अनुसंधान एवं विकास अथवा औद्योगिक अथवा अकादमिक संस्थानों अथवा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी संगठनों में चार वर्ष का विशेषज्ञतापूर्ण अनुभव। यह अनुभव पद की कार्य आवश्यकताओं के प्रति प्रासंगिक विशिष्ट प्रकृति का होगा।

(ख) वांछनीय:

(1) कार्य आवश्यकताओं के अध्यधीन अभियांत्रिकी अथवा प्रौद्योगिकी में डॉक्टरेट डिग्री या मास्टर डिग्री।

(2) ऊर्जा के नवीन तथा नवीकरणीय स्रोतों के क्षेत्र में समन्वय, नीति नियोजन और परियोजना विकास में अनुभव

टिप्पणी 1: पद की आवश्यकताओं के अनुसार शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभवों के क्षेत्र को केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्ति के समय निर्दिष्ट किया जाएगा।

टिप्पणी 2: आवश्यक अर्हताओं को हासिल करने के लिए बिताई गई अवधि, जिनमें संस्थान के साथ जुड़ने से पहले डॉक्टरेट डिग्री शामिल है, को क्षेत्र अनुभव के रूप में नहीं गिना जाएगा।

(ख) ग्रेड जिससे प्रतिनियुक्ति की जाती है (अल्पकालिक संविदा सहित)/आमेलन किया जाएगा (वैज्ञानिक 'सी')

केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या भारत में या विदेशों में विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त संस्थानों या अर्द्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों में कार्यरत वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद।

(क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारक; या

(ii) वेतन बैंड–3, 15600–39100/– रू. जमा ग्रेड वेतन 5400/– रू. में नियमित आधार पर भर्ती के बाद प्रदत्त ग्रेड में पांच वर्ष सेवा सहित या समकक्ष ; और

(ख) क्रम संख्या 1 (क) (क) उपरोक्त के अंतर्गत सीधी नियुक्ति के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव धारक हो।

टिप्पणी 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, (अल्पकालिक संविदा सहित) उसी या अन्य संगठन या केंद्रीय सरकार के विभाग में अनुभव के तुरंत बाद धारण किए गए पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) सहित तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी, जो बाद में वर्ष के आधार पर विस्तारित की जा सकती है, जो सक्षम प्राधिकरण के अनुमोदन के साथ अधिकतम पांच वर्ष तक हो सकती है।

टिप्पणी 2: पोषक वर्ग में विभागीय उम्मीदवार, जो एफसीएस के अंतर्गत स्वस्थाने प्रोन्नति की कतार में होते हैं, वे पूर्व संवर्ग के लिए प्रतिनियुक्ति के अंतर्गत नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं जिसके लिए वे पोषक वर्ग अधिकारी नहीं होते हैं। इसी प्रकार प्रतिनियुक्तिधारी एफसीएस के अंतर्गत स्वस्थाने प्रोन्नति के लिए पात्र नहीं होते हैं।

टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु–सीमा आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष या सरकार के द्वारा समय समय पर बताई गई आयु सीमा से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 4: आमेलन के लिए केंदीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ शासित क्षेत्रों के वैज्ञानिक पात्र होंगे।

2. (क) सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं (वैज्ञानिक 'डी')

(क) अनिवार्यः

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्राकृतिक अथवा कृषि विज्ञान में मास्टर डिग्री या अभियांत्रिकी अथवा प्रौद्योगिकी अथवा चिकित्सा में स्नातक डिग्री;

(ii) अनुसंधान एवं विकास औद्योगिक अथवा अकादमिक संस्थानों अथवा प्रौद्योगिकी संस्थानों में आठ वर्ष का विशेषज्ञता वाला विशिष्ट अनुभव, जिसमें चार वर्ष का अनुभव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों, नीति विकास एवं समन्वय में होना चाहिए। यह अनुभव पद की कार्य आवश्यकताओं के प्रति प्रासंगिक विशिष्ट प्रकृति का होगा ।

(ख) वांछनीयः

(1) कार्य आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक अथवा विषय में अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी में डॉक्टरेट डिग्री या मास्टर डिग्री।

(2) ऊर्जा के नवीन तथा नवीकरणीय स्रोतों के क्षेत्र में समन्वय, नीति नियोजन और परियोजना विकास में अनुभव, जिसमें वैज्ञानिक अथवा तकनीकी प्रयोगशालाओं, संस्थानों, उद्योग, विश्वविद्यालय अथवा संस्थानों में नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वास्तविक प्रकृति के क्षेत्र असाइनमेंट सम्मिलित होने चाहिए।

टिप्पणी 1: पद की आवश्यकताओं के अनुसार शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभवों के क्षेत्र को सरकार द्वारा नियुक्ति के समय निर्दिष्ट किया जाएगा।

टिप्पणी 2: आवश्यक योग्यताओं को हासिल करने के लिए बिताई गई अवधि, जिनमें संस्थान के साथ जुड़ने से पहले डॉक्टरेट डिग्री शामिल है, को क्षेत्र अनुभव के रूप में नहीं गिना जाएगा।

(ख) ग्रेड जिससे प्रतिनियुक्ति की जाती है (अल्पकालिक संविदा सहित)/आमेलन किया जाएगा (वैज्ञानिक 'डी')

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या भारत में या विदेशों में विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त संस्थानों या अर्द्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों में कार्यरत वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद।

(क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारक; या

(ii) वेतन बैंड–3, 15600–39100/– रू. जमा ग्रेड वेतन 6600/– रू. में नियमित आधार पर भर्ती के बाद प्रदत्त ग्रेड में पांच वर्ष सेवा सहित या समकक्ष, और

(ख) क्रम संख्या 2 (क) (क) उपरोक्त के अंतर्गत सीधी नियुक्ति के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव धारक हो।

टिप्पणी 1: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, उसी या अन्य संगठन या केंद्रीय सरकार के विभाग में अनुभव के तुरंत बाद धारण किए गए पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो बाद में वर्ष के आधार पर विस्तारित की जा सकती है, जो सक्षम प्राधिकरण के अनुमोदन के साथ अधिकतम पांच वर्ष तक हो सकती है।

टिप्पणी 2: पोषक वर्ग में विभागीय उम्मीदवार, जो एफसीएस के अंतर्गत स्वस्थाने प्रोन्नति की कतार में होते हैं, वे पूर्व संवर्ग के लिए प्रतिनियुक्ति के अंतर्गत नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं जिसके लिए वे पोषक वर्ग अधिकारी नहीं होते हैं। इसी प्रकार प्रतिनियुक्तिधारी एफसीएस के अंतर्गत स्वस्थाने प्रोन्नति के लिए पात्र नहीं होते हैं।

टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयुसीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख पर छप्पन वर्ष या सरकार के द्वारा समय समय पर बताई गई आयु सीमा से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 4: आमेलन के लिए केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ शासित क्षेत्रों के वैज्ञानिक पात्र होंगे।

3 (क) सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं (वैज्ञानिक 'ई')

(क) अनिवार्यः

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्राकृतिक अथवा कृषि विज्ञान में डॉक्टरेट डिग्री या अभियांत्रिकी अथवा प्रौद्योगिकी अथवा चिकित्सा में मास्टर डिग्री ;

(ii) औद्योगिक अथवा अकादमिक अथवा सरकारी संस्थान अथवा संगठनों में अनुसंधान अथवा विकास अथवा डिजाइन अथवा निर्माण के क्षेत्र में दस वर्षों का विशेषज्ञ अनुभव (यह अनुभव पद के लिए आवश्यक प्रकृति हेतु प्रासंगिक होना चाहिए।)

(ख) वांछनीयः

(1) राष्ट्रीय तथा अंर्तराष्ट्रीय कार्यक्रमों के प्रबंधन का अनुभव, ऊर्जा के नवीन एवं नवीकरणीय स्रोत के विशेष संदर्भ सहित। अनुभव में अभिनवता अथवा अनुसंधान एवं विकास अथवा प्रबंधन अथवा आंकलन अथवा आवेदन अथवा विस्तार अथवा अनुसंधान एवं विकास सम्मिलित होने चाहिए, जिनमें वैज्ञानिक अथवा तकनीकी प्रयोगशालाओं, संस्थानों, उद्योग, विश्वविद्यालय अथवा संस्थानों में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वास्तविक प्रकृति के क्षेत्र असाइनमेंट सम्मिलित होने चाहिए।

(2) राष्ट्रीय ऊर्जा समस्याओं और नीतियों के कुल परिप्रेक्ष्य के बारे में जानकारी और एकीकृत कार्यक्रमों का निर्देशन करने की क्षमता

टिप्पणी 1: पद की आवश्यकताओं के अनुसार शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभवों के क्षेत्र को सरकार द्वारा नियुक्ति के समय निर्दिष्ट किया जाएगा।

टिप्पणी 2: आवश्यक अर्हताओं को हासिल करने के लिए बिताई गई अवधि, जिनमें संस्थान के साथ जुड़ने से पहले डॉक्टरेट डिग्री शामिल है, को क्षेत्र अनुभव के रूप में नहीं गिना जाएगा।

(ख) ग्रेड जिससे प्रतिनियुक्ति की जाती है (अल्पकालिक संविदा सहित)/आमेलन किया जाएगा (वैज्ञानिक 'ई')

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या भारत में या विदेशों में विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त संस्थानों या अर्द्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों में कार्यरत वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद।

(क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारक; या

(ii) वेतन बैंड—3, 15600—39100/— जमा रू. ग्रेड वेतन 7600/— रू. में नियमित आधार पर भर्ती के बाद प्रदत्त ग्रेड में पांच वर्ष सेवा सहित या समकक्ष ; और

(ख) क्रम संख्या 3 (क) (क) उपरोक्त के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव धारक हो।

टिप्पणी 1: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, उसी या अन्य संगठनों या केंद्रीय सरकार के विभाग में अनुभव के तुरंत बाद धारण किए गए पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) सहित तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो बाद में वर्ष के आधार पर विस्तारित की जा सकती है, जो सक्षम प्राधिकरण के अनुमोदन के साथ अधिकतम पांच वर्ष तक हो सकती है।

टिप्पणी 2: पोषक वर्ग में विभागीय उम्मीदवार, जो एफसीएस के अंतर्गत स्वस्थाने प्रोन्नति की कतार में होते हैं, वे पूर्व संवर्ग के लिए प्रतिनियुक्ति के अंतर्गत नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं जिसके लिए वे पोषक ग्रेड अधिकारी नहीं होते हैं। इसी प्रकार प्रतिनियुक्तिधारी एफसीएस के अंतर्गत स्वस्थाने प्रोन्नति के लिए पात्र नहीं होते हैं।

टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु—सीमा आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख पर छप्पन वर्ष या सरकार के द्वारा समय समय पर बताई गई आयु सीमा से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी 4: **आमेलन के लिए केंद्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ शासित प्रशासन क्षेत्रों के वैज्ञानिक पात्र होंगे।**

4. (क) सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं (वैज्ञानिक 'एफ')

(क) अनिवार्यः

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्राकृतिक/कृषि विज्ञान में डॉक्टरेट डिग्री या अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी/चिकित्सा में मास्टर डिग्रीः

(ii) औद्योगिक अथवा अकादमिक अथवा सरकारी संस्थानों अथवा संगठनों में अनुसंधान अथवा विकास अथवा डिजाइन अथवा निर्माण के क्षेत्र में बारह वर्षों का विशेषज्ञ अनुभव (यह अनुभव पद के लिए आवश्यक प्रकृति हेतु प्रासंगिक होना चाहिए।)

(ख) वांछनीयः

(1) राष्ट्रीय तथा अंर्तराष्ट्रीय कार्यक्रमों के प्रबंधन का अनुभव, ऊर्जा के नवीन एवं नवीकरणीय स्रोत के विशेष संदर्भ सहित। अनुभव में अभिनवता अथवा अनुसंधान एवं विकास अथवा प्रबंधन अथवा आंकलन अथवा आवेदन अथवा विस्तार अथवा अनुसंधान एवं विकास सम्मिलित होने चाहिए, जिनमें वैज्ञानिक अथवा तकनीकी प्रयोगशालाओं, संस्थानों, उद्योग, विश्वविद्यालय अथवा संस्थानों में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वास्तविक प्रकृति के क्षेत्र असाइनमेंट सम्मिलित होने चाहिए।

(2) राष्ट्रीय ऊर्जा समस्याओं और नीतियों के कुल परिप्रेक्ष्य के बारे में जानकारी और एकीकृत कार्यक्रमों का निर्देशन करने की क्षमता

टिप्पणी 1: पद की आवश्यकताओं के अनुसार शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभवों के क्षेत्र को केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्ति के समय निर्दिष्ट किया जाएगा।

टिप्पणी 2: आवश्यक अर्हताओं को हासिल करने के लिए बिताई गई अवधि, जिनमें संस्थान के साथ जुड़ने से पहले डॉक्टरेट डिग्री शामिल है, को क्षेत्र अनुभव के रूप में नहीं गिना जाएगा।

(ख) ग्रेड जिससे प्रतिनियुक्ति की जाती है (अल्पकालिक संविदा सहित) (वैज्ञानिक 'एफ')

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या भारत में या विदेशों में विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त संस्थानों या अर्द्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संस्थानों में कार्यरत वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद।

(क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारक; या

(ii) वेतन बैंड–4, 37400–67000/– रू. जमा ग्रेड वेतन 8700/– रू. में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदत्त ग्रेड में पांच वर्ष सेवा सहित या समकक्ष ; और

(ख) क्रम संख्या 4 (क) (क) उपरोक्त के अंतर्गत सीधी नियुक्ति के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव धारक हो।

टिप्पणी 1: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) की अवधि, उसी या अन्य संस्थान या केंद्रीय सरकार के विभाग में अनुभव के तुरंत बाद धारण किए गए पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) सहित तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो बाद में वर्ष के आधार पर विस्तारित की जा सकती है, जो सक्षम प्राधिकरण के अनुमोदन के साथ अधिकतम पांच वर्ष तक हो सकती है।

टिप्पणी 2: पोषक वर्ग में विभागीय उम्मीदवार, जो एफसीएस के अंतर्गत स्वस्थाने प्रोन्नति की कतार में होते हैं, वे पूर्व संवर्ग के लिए प्रतिनियुक्ति के अंतर्गत नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं जिसके लिए वे पोषक ग्रेड अधिकारी नहीं होते हैं। इसी प्रकार प्रतिनियुक्तिधारी एफसीएस के अंतर्गत स्वस्थाने प्रोन्नति के लिए पात्र नहीं होगें।

टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु–सीमा आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख पर छप्पन वर्ष या सरकार के द्वारा समय समय पर बताई गई आयु–सीमा से अधिक नहीं होगा।

5. (क) सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं (वैज्ञानिक 'जी')

(क) अनिवार्यः

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्राकृतिक/कृषि विज्ञान में डॉक्टरेट डिग्री या अभियांत्रिकी/प्रौद्योगिकी/चिकित्सा में मास्टर डिग्री;

(ii) औद्योगिक अथवा अकादमिक अथवा सरकारी संस्थानों अथवा संगठनों में अभिनवता अथवा अनुसंधान अथवा विकास अथवा प्रदर्शन अथवा संकल्पना अथवा निर्माण में पन्द्रह वर्षों का अनुभव जिसमें कम से कम पांच वर्ष का अनुभव नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वरिष्ठ पद में वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्यक्रम में प्रशासन, नियोजन, विकास और समन्वय का होना चाहिए।

(ख) वांछनीयः

(1) राष्ट्रीय तथा अंर्तराष्ट्रीय कार्यक्रमों के प्रबंधन का अनुभव, ऊर्जा के नवीन एवं नवीकरणीय स्रोत के विशेष संदर्भ सहित। अनुभव में अभिनवता अथवा अनुसंधान एवं विकास अथवा प्रबंधन अथवा आंकलन अथवा आवेदन अथवा विस्तार अथवा अनुसंधान एवं विकास सम्मिलित होने चाहिए, जिनमें वैज्ञानिक अथवा तकनीकी प्रयोगशालाओं, संस्थानों, उद्योग, विश्वविद्यालय अथवा संस्थानों में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वास्तविक प्रकृति के क्षेत्र असाइनमेंट सम्मिलित होने चाहिए।

(2) राष्ट्रीय ऊर्जा समस्याओं और नीतियों के कुल परिप्रेक्ष्य के बारे में जानकारी और बड़े पैमाने पर समन्वित और एकीकृत कार्यक्रमों को निर्देशित करने में क्षमता

टिप्पणी 1: पद की आवश्यकताओं के अनुसार शैक्षणिक अर्हताएं एवं अनुभवों के क्षेत्र को केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्ति के समय निर्दिष्ट किया जाएगा।

टिप्पणी 2: आवश्यक अर्हताओं को हासिल करने के लिए बिताई गई अवधि, जिनमें संस्थान के साथ जुड़ने से पहले डॉक्टरेट डिग्री शामिल है, को क्षेत्र अनुभव के रूप में नहीं गिना जाएगा।

(ख) ग्रेड जिससे प्रतिनियुक्ति की जाती है (अल्पकालिक संविदा सहित) (वैज्ञानिक 'जी')

केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या भारत में या विदेशों में विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त संस्थानों या अर्द्ध सरकारी या कानूनी या स्वायत्त संगठनों में कार्यरत वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद।

(क) (i) नियमित आधार पर सदृश पद धारक; या

(ii) वेतन बैंड–4, 37400–67000/– रू. जमा ग्रेड वेतन 8900/– रू. में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदत्त ग्रेड में पांच वर्ष सेवा सहित या समकक्ष तथा

(ख) क्रम संख्या 5 (क) (क) उपरोक्त के अंतर्गत सीधी नियुक्ति के लिए विहित शैक्षणिक अर्हताएं और अनुभव धारक हो।

टिप्पणी 1: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदासहित) की अवधि, उसी या अन्य संस्थान या केंद्र सरकार के विभाग में अनुभव के तुरंत बाद धारण किए गए पद में प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) सहित तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, जो बाद में वर्ष के आधार पर विस्तारित की जा सकती है, जो सक्षम प्राधिकरण के अनुमोदन के साथ अधिकतम पांच वर्ष तक हो सकती है।

टिप्पणी 2: पोषक वर्ग में विभागीय उम्मीदवार, जो एफसीएस के अंतर्गत स्वस्थाने प्रोन्नति की कतार में होते हैं, वे पूर्व संवर्ग के लिए प्रतिनियुक्ति के अंतर्गत नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं जिसके लिए वे पोषक ग्रेड अधिकारी नहीं होते हैं। इसी प्रकार प्रतिनियुक्तिधारी एफसीएस के अंतर्गत स्वस्थाने प्रोन्नति के लिए पात्र नहीं होते हैं।

टिप्पणी 3: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयुसीमा आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तारीख पर छप्पन वर्ष या सरकार के द्वारा समय समय पर बताई गई आयु सीमा से अधिक नहीं होगी।

6. सीधी नियुक्तियों के लिए आयु सीमा-

सीधी नियुक्ति के लिए प्रत्येक श्रेणी में अधिकतर आयु सीमा निम्नानुसार होगी:-

क्रम संख्या	पद का नाम	आयु सीमा
1.	वैज्ञानिक 'सी'	35 वर्ष
2.	वैज्ञानिक 'डी'	40 वर्ष
2.	वैज्ञानिक 'ई'	45 वर्ष
2.	वैज्ञानिक 'एफ'	50 वर्ष
2.	वैज्ञानिक 'जी'	50 वर्ष

(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों अथवा आदेशों के अनुपालन में सरकारी अधिकारियों के लिए पांच वर्ष तक छूट दी जा सकती है।)

टिप्पणी 1: आयु–सीमा का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण तारीख भारत में उम्मीदवारों से आवेदनों की प्राप्ति के लिए अंतिम तारीख होगी (न कि असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र, लाहौल और स्फीति जिला और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के उप क्षेत्र तथा अंडमान एवं निकोबार प्रायद्वीपों के संघ शासित क्षेत्र अथवा लक्षद्वीप के संघ शासित क्षेत्र में बताई गई अंतिम तारीख।)

7. छंटनी एवं चयन प्रक्रिया: छंटनी और चयन प्रक्रिया को (सीधी नियुक्ति और प्रतिनियुक्ति दोनों के लिए लागू) - छंटनी और चयन प्रक्रिया केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएगी। पात्रता समिति, छंटनी एवं शॉर्ट लिस्टिंग समिति और साक्षात्कार मंडल आदि के गठन केंद्र सरकार द्वारा विहित किए जाएंगे। तथापि पात्रता समिति, छंटनी एवं शॉर्ट लिस्टिंग

समिति और साक्षात्कार मंडल के अधिकतर सदस्य, अध्यक्ष सहित नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से बाहर के होने चाहिए। यदि आवश्यक माना जाए तो छंटनी प्रक्रिया में लिखित परीक्षा भी सम्मिलित होगी जिसका आयोजन केंद्र सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या किसी केंद्र सरकार संस्था या संस्थान के द्वारा किया जाना चाहिए, जिसे इस क्षेत्र में अनुभव हो।

8. छंटनी समिति की संरचना और आकलन बोर्डों और एफसीएस के तहत प्रोन्नति पर विचार करने के लिए उनकी सिफारिशों को प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदन किया गया है जो नीचे दी गई तालिका में उनकी प्रविष्टियों के निर्दिष्ट रूप में स्पष्ट की गई है .–

क्र. सं.	**ग्रेड जिसके लिए प्रोन्नति की जाएगी**	**छंटनी समिति की संरचना**	**छंटनी समिति की सिफारिशों के लिए अनुमोदन प्राधिकारी**	**संशोधित सुनम्य सम्पूरक स्कीम के अधीन सीधी भर्ती/स्वस्थाने उन्नयन हेतु आकलन बोर्ड की संरचना**	**बोर्ड की सिफारिशों के मूल्यांकन के लिए अनुमोदन प्राधिकारी**
1.	वैज्ञानिक 'जी'	छंटनी समिति में शामिल करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव द्वारा अध्यक्ष और कम से कम तीन विशेषज्ञ सदस्यों को नामित किया जाता हैं। परंतु कम से कम एक सदस्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी या अंतरिक्ष विभाग या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन विभाग से होगा ।	छंटनी समिति की सिफारिशों के लिए अनुमोदन प्राधिकारी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव होगें। छंटनी समिति आंतरिक सहकर्मी समीक्षा समूह/ समिति के रूप में भी कार्य करेगी।	मूल्यांकन बोर्ड/डीपीआरसी की संरचना 1. सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय **–अध्यक्ष** **2.** अन्य वैज्ञानिक मंत्रालयों या विभागों के दो सचिव **–सदस्य** **3.** वैज्ञानिक 'जी' के स्तर से एक स्तर ऊपर वैज्ञानिक गतिविधि के क्षेत्र में विशेषज्ञता वाले तीन प्रतिष्ठित वैज्ञानिक **–सदस्य** **4.** विद्यमान निर्देशों के अनुसार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का नामनिर्दिष्ट व्यक्ति । मूल्यांकन बोर्ड/विभागीय सहकर्मी समीक्षा समिति विशेष सहकर्मी समीक्षा समिति के रूप में भी कार्य करेगी और विशेष रूप से प्रमाणित करेगी कि सिफारिश किए गए वैज्ञानिक स्वस्थानी उन्नयन के लिए संशोधित सुनम्य सम्पूरक स्कीम के तहत सभी मानदंड	प्रभारी मंत्री नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय *

				पूर्ण करते हैं।	
2	वैज्ञानिक 'एफ'	छंटनी समिति में शामिल करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव द्वारा एक अध्यक्ष और कम से कम तीन विशेषज्ञ सदस्यों को नामित किया जाता हैं। परंतु कम से कम एक सदस्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी या अंतरिक्ष विभाग या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन विभाग से होगा।	छंटनी समिति की सिफारिशों के लिए अनुमोदन प्राधिकारी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव होगे । छंटनी समिति आंतरिक सहकर्मी समीक्षा समूह/ समिति के रूप में भी कार्य करेगी।	मूल्यांकन बोर्ड/डीपीआरसी की संरचना 1. सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय **—अध्यक्ष** **2.** अन्य वैज्ञानिक मंत्रालयों या विभागों के दो सचिव **—सदस्य** **3.** वैज्ञानिक 'एफ' के स्तर से एक स्तर ऊपर वैज्ञानिक गतिविधि के क्षेत्र में विशेषज्ञता वाले तीन प्रतिष्ठित वैज्ञानिक **—सदस्य** **4.** विद्यमान निर्देशों के अनुसार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का नामनिर्दिष्ट व्यक्ति । मूल्यांकन बोर्ड/विभागीय सहकर्मी समीक्षा समिति विशेष सहकर्मी समीक्षा समिति के रूप में भी कार्य करेगी और विशेष रूप से प्रमाणित करेगी कि सिफारिश किए गए वैज्ञानिक स्वस्थानी उन्नयन के लिए संशोधित सुनम्य सम्पूरक स्कीम के तहत सभी मानदंड पूर्ण करते हैं।	प्रभारी मंत्री नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय*
नोटः— * वर्तमान स्थिति में ग्रेड—वेतन रू. 10,000 या उससे ऊपर की नियुक्ति/स्वस्थाने पदोन्नति के लिए मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) द्वारा अनुमोदन अनिवार्य है ।					
3	वैज्ञानिक 'सी 'डी' और 'ई'	छंटनी समिति में शामिल करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव द्वारा एक अध्यक्ष और कम से कम तीन विशेषज्ञ	छंटनी समिति की सिफारिशों के लिए अनुमोदन प्राधिकारी, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव होगे। छंटनी समिति आंतरिक	मूल्यांकन बोर्ड/डीपीआरसी की संरचना 1. सचिव, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय या उसका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति जो संयुक्त सचिव	प्रभारी मंत्री नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

		सदस्यों को नामित किया जाता हैं। परंतु कम से कम एक सदस्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी या अंतरिक्ष विभाग या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन विभाग से होगा।	सहकर्मी समीक्षा समूह / समिति के रूप में भी कार्य करेगी।	की पंक्ति से नीचे का ना हो या संस्थान का प्रमुख या वैज्ञानिक 'जी' **—अध्यक्ष** **2**. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में दो समूह के प्रमुख **—सदस्य** **3.** वैज्ञानिक 'जी' के स्तर के विभाग के बाहर के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जिनमें से एक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अथवा अंतरिक्ष विभाग या एक रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन से होगा।	

अनुसूची–III

(नियम 5 देखें)

(संशोधित सुनम्य सम्पूरक स्कीम)

1. सुनम्य संपूरक स्कीम (एफसीएस) वैज्ञानिकों के लिए, एक स्वस्थाने प्रोन्नति स्कीम है, जिसका मानदंड सिद्ध योग्यता और अनुसंधान के रिकॉर्ड होंगे। एफसीएस के तहत प्रोन्नति के लिए कठोर मूल्यांकन मानदंड होंगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल प्रत्यक्ष उपलब्धियों के लिए उच्च स्तर की तकनीकी योग्यता रखने वाले वैज्ञानिकों की सिफारिश की जा रही है पेशेवर योगदान और तकनीकी ज्ञान के आकलन पर पर्याप्त जोर दिया जाएगा। जिन वैज्ञानिकों की सिफारिश की जाएगी वे केवल अपेक्षित योग्यता के ही अधिकारी नहीं होंगे, तकनीकी ज्ञान का मात्र उपयोग करने की बजाय उन्हें उल्लेखनीय रूप में वैज्ञानिक और नवीन गतिविधियों में लगा हुआ होना चाहिए, इसके अलावा उनके द्वारा किए गए कार्यों का उनकी शैक्षणिक विशेषज्ञता से सम्बद्ध या पहचान योग्य होना भी आवश्यक है।

2. मंत्रालयों में प्रबंधन या प्रशासनिक काम कर रहे वैज्ञानिकों या तकनीकी विशेषज्ञों के एफसीएस के तहत उन्नयन के लिए विचार नहीं किया जाएगा। तथापि, उन्हें "संशोधित आश्वासित कैरियर प्रगति स्कीम" के तहत उन्नयन का लाभ दिया जाएगा।

3. प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) पर नियुक्त वैज्ञानिक सुनम्य सम्पूरक स्कीम प्रोन्नति (एफसीएस) के लिए पात्र नहीं होंगे। केवल नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नियमित वैज्ञानिक ही एफसीएस प्रोन्नति के लिए पात्र होंगे।

4. एफसीएस के तहत कोई पूर्वप्रभावी प्रोन्नति नहीं होगी। एफसीएस के तहत प्रोन्नति इनके नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की जाने वाली तारीख से प्रभावी होगी।

5. एफसीएस के तहत प्रोन्नति 10,000 रुपये या कम के ग्रेड वेतन वाले पदों तक सीमित रहेगी।

6. एफसीएस के तहत प्रोन्नति केवल उन वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों पर लागू होगी जो वैज्ञानिक पदों पर हैं और वैज्ञानिक गतिविधियों तथा इन नियमों में परिभाषित निर्दिष्ट सेवाओं में लगे हैं। एफसीएस के तहत प्रोन्नति के लिए, वैज्ञानिकों के पास निम्नलिखित अर्हता होना आवश्यक है, अर्थात् –

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से प्राकृतिक अथवा कृषि विज्ञान में मास्टर डिग्री या अभियांत्रिकी अथवा प्रौद्योगिकी अथवा चिकित्सा में स्नातक डिग्री

7. एफसीएस के अंतर्गत सभी पदों के लिए प्रदर्शन से जुड़े हुए निम्नलिखित एक समान पे बैंड, और ग्रेड पे, पद और न्यूनतम निवास की अवधि लागू होगी :–

क्र. सं.	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	पदनाम	कार्यप्रदर्शन से जुड़ी न्यूनतम निवास अवधि
1.	वेतन बैंड—3, 15600—39100 रू. ग्रेड वेतन 5,400 रू. सहित	वैज्ञानिक "बी"	3 वर्ष
2.	वेतन बैंड—3, 15600—39100 रू. ग्रेड वेतन 6,600 रू. सहित	वैज्ञानिक "सी"	4 वर्ष
3.	वेतन बैंड—4, 15600—39100 रू. ग्रेड वेतन 7,600 रू. सहित	वैज्ञानिक "डी"	4 वर्ष
4.	वेतन बैंड—4, 37400—67000 रू. ग्रेड वेतन 8700 रू. सहित	वैज्ञानिक "ई"	5 वर्ष
5.	वेतन बैंड—4, 37400—67000 रू ग्रेड वेतन 8900 रू. सहित	वैज्ञानिक एफ"	5 वर्ष
6.	वेतन बैंड—4, 37400—67000 रू. ग्रेड वेतन 10,000 रू. सहित	वैज्ञानिक "जी"	-

8. अगले उच्च ग्रेड में, कम ग्रेड प्रोन्नति में रखे जाने के लिए आवश्यक न्यूनतम निवास की अवधि की लिए सेवा की निम्नलिखित अवधि जरूरी होगी अर्थात् ;

(i) विविध संस्थाओं में एक अन्य वैज्ञानिक पद पर, प्रतिनियुक्ति अथवा विदेश सेवा में बिताई गई अवधि, जो वैज्ञानिक अनुभव प्राप्त करने में एक वैज्ञानिक की मदद करती है ;

(ii) वैज्ञानिक ज्ञान में सुधार करने के लिए अध्ययन छुट्टी अथवा शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए लिए गए किसी भी अन्य छुट्टी की अवधि ;

(iii) एफसीएस के तहत प्रोन्नति के लिए निवास की न्यूनतम अवधि की गिनती करते समय छुट्टी नियम के अनुसार मंजूर मातृत्व छुट्टी की अवधि को कार्यकाल (ड्यूटी) माना जाएगा;

(iv) छुट्टी नियम के अनुसार मातृत्व छुट्टी की निरंतरता में स्वीकृत एक वर्ष की अधिकतम अवधि की छुट्टी भी मातृत्व छुट्टी के बराबर मानी जा सकती है और निवास की न्यूनतम अवधि की गिनती करते समय इस अवधि को ध्यान में रखा जा सकता है;

(v) निवास की अवधि की गणना करते समय छुट्टी नियम के अनुसार मंजूर 180 दिन से अनधिक नहीं अर्जित अवकाश तथा/अथवा बच्चे की देखभाल के लिए ली गई छुट्टी (सीसीएल) की कुल अवधि को भी ध्यान में रखा जाएगा;

(vi) एक गैर वैज्ञानिक पद पर प्रतिनियुक्ति अथवा विदेशी सेवा में व्यतीत अवधि और व्यक्तिगत आधार पर चिकित्सा के लिए अवकाश सहित ली गई छुट्टी की अवधि को न्यूनतम निवास की अवधि में नहीं गिना जाएगा।

9. एफसीएस के तहत अगले उच्चतर वेतनमान में प्रोन्नति के लिए समीक्षा के प्रयोजन से, तदर्थ सेवा, गैर अर्हक सेवा को छोड़कर, एक पद पर की गई नियमित सेवा की गिनती की जाएगी।

10. सभी उत्कृष्ट ग्रेडिंग के साथ असाधारण मेधावी उम्मीदवार को निवास की अवधि में छूट दी जाएगी, किसी भी एक अवसर पर छूट की अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी, और यह पूरे कैरियर में अधिकतम दो अवसरों के लिए सीमित होगी।

11. एफसीएस के तहत उच्चतर ग्रेड के विभागों या वैज्ञानिक मंत्रालयों के सचिवालय में पदों पर नियुक्त वैज्ञानिकों के लिए अनुसंधान और विकास में फील्ड अनुभव और इस तरह की वैज्ञानिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के क्षेत्र में अनुभव होना अनिवार्य है।

12. वैज्ञानिक 'एफ' और वैज्ञानिक 'जी' ग्रेड में प्रोन्नति के लिए क्रमशः कम से कम दो साल और पांच साल का फील्ड अनुभव आवश्यक होगा।

13. अलग वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए क्षेत्र के अनुभव के मापदंड का वैज्ञानिक गतिविधियां और सेवा नियमों के तहत विस्तार किया गया है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में मौजूदा वैज्ञानिकों को वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं या संस्थानों या विश्वविद्यालयों या अन्य प्रासंगिक वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्ति करने पर विचार किया जाएगा।

14. सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आवश्यक योग्यता प्राप्त करने पर व्यतीत की जाने वाली अवधि को अनुभव की अवधि में नहीं गिना जाएगा। तथापि, ऐसे मामलों में जहां डॉक्टरेट की डिग्री एक आवश्यक योग्यता नहीं है, एक मान्यता प्राप्त

विश्वविद्यालय या संस्थान से डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने व्यतीत अधिकतम दो साल की अवधि, और एक विश्वविद्यालय या अनुसंधान संस्थान में पोस्ट डॉक्टरेट अनुसंधान पर व्यतीत की गई अधिकतम दो साल की अवधि को, इसके सबूत के रूप में ऐसे विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा दिए गए प्रमाण–पत्र और प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में शोध कार्य के प्रकाशन के आधार पर अनुभव के रूप में गिना जाएगा।

15. पात्र वैज्ञानिकों को एफसीएस के अगले ग्रेड के आकलन के लिए तीन मौके दिए जाएंगे। ऐसे मामले में जहाँ एक वैज्ञानिक एफसीएस के तहत अगले उच्च ग्रेड में उन्नत के लिए लगातार तीन साल या तीन बार में सफल नहीं होता है, उसके संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए "संशोधित आश्वासित कैरियर प्रगति स्कीम" के प्रावधानों के अनुसार अगले ग्रेड के लिए उन्नयन पर विचार किया जाएगा।

16. बोर्ड की आकलन प्रक्रिया निम्न के तहत होगी:

(क) एफसीएस के अधीन प्रोन्नति की प्रक्रिया समय–समय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी एफसीएस दिशा निर्देशों के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(ख) एफसीएस प्रोन्नति आकलन प्रक्रिया, वर्ष में दो बार, 1 जनवरी और 1 जुलाई को प्रत्येक वर्ष कार्यान्वित किया जाएगा। इस प्रक्रिया की कम से कम तीन महीने पहले की जाएगी;

(ग) वे वैज्ञानिक जो 1 जनवरी या 1 जुलाई, प्रकरण के अनुसार न्यूनतम निवास कार्यकाल पूरा कर चुके हैं या पूरा करने वाले हैं और आकलन की तिथि के समकक्ष या अधिक संख्या में वार्षिक एसीआर/एपीएआर अंक अर्जित कर चुके हैं या कर लिए जाएंगे, के एफसीएस आकलन के बारे में विचार किया जाएगा।

17. एफसीएस के आकलन के दो स्तर होंगे। आकलन प्रक्रिया निम्न के तहत होगी:–

(क) स्तर 1 छंटनी (आंतरिक)

(क) वार्षिक कार्य रिपोर्ट का एफसीएस के अंतर्गत उन्नयन के लिए मानदंडों के मुकाबले आकलन करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा आंतरिक छंटनी समिति गठित की जाएगी। स्तर 1 छंटनी समिति वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों या वार्षिक निष्पादन आकलन रिपोर्ट के आधार पर वैज्ञानिकों का आकलन करेगी और उम्मीदवारों की योग्यता की 'स्क्रीन इन' या 'स्क्रीन आउट' पर विशेष कारणों के साथ अपनी रिपोर्टें और अनुसंशाएं देगी।

(ख) स्तर 1 छंटनी प्रक्रिया से 'स्क्रीन्ड आउट' किए जाने वाले उम्मीदवारों की पुनः एक वर्ष बाद छंटनी प्रक्रिया शुरू की जाएगी जब भी वे कम से कम एक वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट या वार्षिक निष्पादन आकलन रिपोर्ट अर्जित करते हैं और वे पुनः निर्धारित छंटनी प्रक्रिया के अध्यधीन होंगे।

(ग) एफसीए के प्रावधानों के अनुसार सभी पात्र वैज्ञानिकों और जो वैज्ञानिक 'सी' वर्ग हेतु उन्नयन हेतु 'अच्छा' न्यूनतम मानदंड और वैज्ञानिक 'डी' के उन्नयन हेतु 'बहुत अच्छा' और उपर्युक्त की छंटनी की जाएगी। आंतरिक छंटनी समिति निर्धारित प्ररूप में वैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य की वैज्ञानिक सामग्री के आधार पर रिपोर्ट प्रेषित करेंगे और यह रिपोर्ट बाह्य आकलन समिति को भी उपलब्ध करायी जाएगी।

(ख) स्तर 2 छंटनी (बाह्य) – आकलन बोर्ड या विभागीय सहकर्मी समीक्षा समिति (डीपीआरसी)–

(क) एफसीएस के अंतर्गत प्रोन्नति/एफसीएस/एमएफसीएस के अधीन 'ई' वर्ग तक के वैज्ञानिक के उन्नयन/स्वस्थाने प्रोन्नति हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा आकलन बोर्ड का गठन किया जाएगा। आकलन बोर्ड की विशेषताएं कार्य की वैज्ञानिक सामग्री के आकलन हेतु स्वतंत्र सहकर्मी की समीक्षा समूह की होगी। विभागीय सहकर्मी समीक्षा समिति (डीपीआरसी) वैज्ञानिक 'एफ' या वैज्ञानिक 'जी' हेतु उनकी उपयुक्तता के आकलन के लिए स्तर 2 की छंटनी की जाएगी।

(ख) स्तर 2 अनुवीक्षण समिति/(आकलन बोर्ड/डीपीआरसी) की संरचना का निर्णय समय समय पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिशानिर्देशों के अनुरुप केंद्र सरकार द्वारा लिया जाएगा।

(ग) स्तर 1 छंटनी समिति द्वारा 'स्क्रीन्ड इन' किए गए वैज्ञानिकों से संबंधित रिपोर्ट आकलन बोर्ड ('ई' स्तर की एफसीएस प्रोन्नतियां) या डीपीआरसी ('एफ' और 'जी' स्तर के वैज्ञानिकों की प्रोन्नति हेतु) के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

(घ) इस प्रकार, 'स्क्रीन्ड इन' उम्मीदवारों को, स्तर 2 छंटनी समिति द्वारा साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

(ड़) स्तर 2 छंटनी समिति आकलन हेतु अपनी प्रक्रिया एवं प्रणालियों को निरूपित करने के लिए स्वतंत्र होगी जिसके अंतर्गत उम्मीदवारों द्वारा दिए गए प्रस्तुतियां, साक्षात्कार में शामिल हो सकते हैं।

(च) आकलन बोर्ड या डीपीआरसी, प्रकरण को देखते हुए, विशेष रूप से एक पृष्ठ के सार के माध्यम से, उम्मीदवार की मेरिट और उपयुक्तता को न्यायोचित ठहराते हुए किए गए कार्य की विशेष सामग्री के माध्यम से अगली ग्रेड पर स्वस्थाने प्रोन्नति करेगी।

(छ) आकलन बोर्ड या डीपीआरसी विशेष रूप से यह प्रमाणित करेगा कि अनुसंशित वैज्ञानिक विहित नियमों के अंतर्गत एफसीएस के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नति हेतु सभी मानदंडों की अनुसंशा करता है।

(ज) स्तर 2 छंटनी समिति वार्षिक कार्य रिपोर्टों, उम्मीदवार द्वारा इसके समक्ष की जाने वाली प्रस्तुति, साक्षात्कार के दौरान प्रदर्शन, उम्मीदवारों की शैक्षिक और पेशेवर रिकॉर्ड, प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में अनुसंधान कार्य के प्रकाशन द्वारा उम्मीदवार का अनुसंधान और विकास के प्रमाण और इस प्रकार के अन्य कारक या पैरामीटर जिन्हें आकलन बोर्ड या डीपीएआर आवश्यक समझता है, के आधार पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत करेगी।

18. केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित स्तर 2 छंटनी के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं कर सकने वाले उम्मीदवार एक वर्ष उपरान्त पुनः स्तर 1 छंटनी और स्तर 2 छंटनी, से तब गुजरेगें जब वे कम से कम एक और वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट या वार्षिक निष्पादन आकलन रिपोर्ट अर्जित करेगें।

19. संबंधित क्षेत्र / विषय (मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा) में दो से चार सप्ताह के प्रशिक्षण की सफलतापूर्वक समाप्ति फ्लेक्सीबल अनुपूरक योजना (एफसीएस) के अधीन स्वस्थाने प्रोन्नति के लिए आवश्यक है।

[फा. संख्या 30(1)/2011—14—प्रशा—**I**]

वर्षा जोशी,संयुक्त सचिव (प्रशासन)

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

NOTIFICATION

New Delhi, the, 22nd April , 2015

G.S.R. 321(E). – In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Department of Non-Conventional Energy Sources Group 'A' Gazetted Posts (non-ministerial), scientific and technical) Rules, 1988, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Scientists in Ministry of New and Renewable Energy, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of New and Renewable Energy, Scientists, Group 'A' Posts Recruitment Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Definitions : In these rules unless the context otherwise requires;

(a) **"Central Government"** means Government of India, Ministry of New and Renewable Energy;

(b) **'field experience'** means and includes the following for the purpose of Flexible Complementing promotions:-

(i) working experience in scientific laboratories or institutes (like National Institute for Wind Energy (NIWE), National Institute of Renewable Energy (NIRE) or National Institute of Solar Energy (NISE) {formerly known as Solar Energy Centre-(SEC)} under the Ministry of New and Renewable Energy) or any other such scientific institute including its regional offices), period spent on doctoral degree in basic or applied research or post doctorate research after joining an organisation;

(ii) working experience in experimental development for application of scientific knowledge directed towards producing new or subsequently improve materials, device, products, process, systems or services which involves application of scientific knowledge in the field of new and renewable energy; and

(iii) working experience at research and development laboratories or institutes, scientific projects being operated in mission mode and also working and assisting research and development projects or scientific work at national and international level;

(c) **"managerial capacity"** means ability to manage and co-ordinate science and technology related activities at a senior level with clear understanding of issues involved in putting together quality science and technology programmes and ability to provide directions and guidance to subordinates and ability to groom them to take up higher level of responsibility;

(d) **"research and development experience"** means and includes the following for the purpose of direct recruitment or deputation:

(i) working experience in scientific laboratories or institutes, period spent on doctoral or post-doctoral degree in basis research concerning new and renewable energy;

(ii) work experience in scientific laboratories or institutes, period spent on doctoral or post-doctoral degree in applied research;

(iii) working experience in experimental development for application of scientific knowledge directed towards producing new or substantially improved materials, devices, products, process, systems or services concerning new and renewable energy provided such work is not of routine use of scientific knowledge but in application of scientific knowledge for creation of new innovative systems, practices and models;

(iv) working experience in research and development laboratories and institutions, scientific projects being operated in mission mode, working on international collaboration research and development projects;

(v) full time working experience in scientific research and development projects or doing any post-doctoral research project in any institute or University as evidenced by certification by such institute or University and publication of research work in journals of repute;

(e) **"Modified Flexible Complementing Scheme" (FCS)** means Scheme as notified by the Department of Personnel and Training *vide* O.M. No. AB-14017/37/2008-Estt. (RR) dated the 10th September, 2010;

(f) **"Scientists or Engineer"** means persons who:-

(a) possess academic qualification of Master's degree in Natural or Agricultural Science or Bachelor's Degree in Engineering or Technology or Medicine from a recognised university or institute; and

(b) hold scientific posts;

(g) **"scientific post"** means a post in which the incumbent is a Scientist or Engineer, working in a scientific institution or organisation declared as Scientific Department or organization and who is engaged in creating new scientific knowledge or innovative engineering, technological or medical techniques or which is involved predominantly in professional research work and development;

(h) **'scientific activities or services**" means and includes the following namely:-

(i) fundamental or basic research, which means original investigation to gain new scientific knowledge, not necessarily directed towards any specific practical aim or application or working in scientific laboratories or institute and period spent on doctoral or post-doctoral degree in basic research;

(ii) applied research, which means original investigation to gain new scientific or technical knowledge directed towards a specific practical aim or objective or working in scientific laboratories or institutes, period spent on doctoral or post-doctoral degree in applied research;

(iii) experimental development, which means application of scientific knowledge directed towards producing new or substantially improved materials, devices, products, process, systems or services or field experience that depends on the work profile of the Department.

Explanation.- For the purpose of this clause, it is clarified that the work relating to experimental development shall not be routine use of scientific knowledge but shall involve application of scientific knowledge for creation of new innovative systems, practices and models;

(iv) scientific and technical activities which are directly linked to research and development in terms of promoting the scientific activities and services, such as working in research and development laboratories and institutions, scientific projects being operated in mission mode, working on international collaboration research and development projects;

(i) **"Schedule"** means Schedules annexed to these rules.

3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale. – (1) The number of posts, their classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be specified as under:

Serial number	Name of post	Classification	Number of posts	Pay band and grade pay or pay scale
1.	Scientist 'G'	General Central Service, Group 'A' Gazetted, (Non-Ministerial, Scientific and Technical)	06* (2015)	Pay band-4, Rs.37400-67000 plus grade pay of Rs. 10000.

2.	Scientist 'F'	General Central Service, Group 'A' Gazetted, (Non-Ministerial, Scientific and Technical)	11* (2015)	Pay band-4, Rs.37400-67000 plus grade pay of Rs. 8900.
3.	Scientist 'E'	General Central Service, Group 'A' Gazetted, (Non-Ministerial, Scientific and Technical)	15* (2015)	Pay band-4, Rs.37400-67000 plus grade pay of Rs. 8700.
4.	Scientist 'D'	General Central Service, Group 'A' Gazetted, (Non-Ministerial, Scientific and Technical)	16* (2015)	Pay band-3, Rs.15600-39100 plus grade pay of Rs. 7600.
5.	Scientist 'C'	General Central Service, Group 'A' Gazetted, (Non-Ministerial, Scientific and Technical)	20* (2015)	Pay band-3, Rs.15600-39100 plus grade pay of Rs. 6600.
6.	Scientist 'B'	General Central Service, Group 'A' Gazetted, (Non-Ministerial, Scientific and Technical)	20* (2015)	Pay band-3, Rs.15600-39100 plus grade pay of Rs. 5400.
Total			88	

* Subject to variation dependent on workload.

(2) Total number of sanctioned posts from Scientist 'G' to 'B' shall be 88:

Provided that there shall be complete interchangeability between the posts at these levels on account of in-situ promotion under FCS subject to condition that total numbers of posts of Scientist 'G' to Scientist 'B' taken together shall not exceed the total sanctioned strength.

(3) In-situ promotion under FCS shall be personal to the officer concerned and shall not result in specific vacancy in the lower grade on that account.

(4) The post currently held by the concerned officer shall be upgraded and shall be personal to him for the duration of his holding the in-situ promotion post.

(5) The vacancy that may be created owing to superannuation, resignation or death of the officer shall result in the post reverting to the original position.

4. Method of recruitment. - (1) The posts of Scientist 'G' to 'B' shall be selection posts.

(2) The posts shall be exempted from the purview of the Union Public Service Commission for the purpose of consultation for appointments to be made thereto by recruitment, deputation, promotion at different level of Scientists in the Ministry of New and Renewable Energy.

(3) Recruitment for the post of Scientist 'B' shall be made by direct recruitment as specified in Schedule I.

(4) Recruitment for the post of Scientist 'C' to 'G' shall be made either by in-situ promotion under FCS (rule 5) or by direct recruitment or deputation (including short-term contract) or absorption as specified in Schedule –II.

(5) The method of recruitment for each post or each case shall be decided by the Central Government from time to time.

(6) Particular discipline or field of essential educational qualifications and experience for each post or in each case shall be decided by the Central Government, keeping in view the availability of Scientists in different fields and further requirement of Scientists in a particular field.

(7) Ex-serviceman may be recruited on re-employment basis in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

5. Promotion. -Promotions of Scientists shall be governed by the provisions of the FCS as specified in **Schedule III.**

6. Annual Confidential Reports / Annual Performance Appraisal Reports and Annual Work Reports.- Annual Confidential Reports or Annual Performance Appraisal Reports along with Annual Work Reports of Scientists shall be recorded in accordance with the instructions, time schedules and the formats prescribed by the Central Government or the Department of Personnel and Training from time to time.

7. Probation. - (1) Every Scientist appointed to the service, either by direct recruitment or by promotion from Group 'B' shall be on probation for a period of two years:

Provided that the Cadre Controlling Authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by Central Government from time to time in this regard:

Provided further that any decision for extension of a probation period shall be taken ordinarily within eight weeks after the expiry of the previous probation period and communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for so doing within the said period.

(2) On completion of the period of probation or any extension thereof, Scientists shall, if considered fit for permanent appointment, be retained in their appointments on regular basis and be confirmed against the available substantive vacancies.

(3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, the Central Government is of the opinion that a Scientist is not fit for permanent appointment, the Central Government may discharge or revert the Scientist to the post held by him prior to his appointment in the service, as the case may be.

(4) During the period of probation, or any extension thereof, Scientists may be required by Government to undergo such courses of training and instruction and to pass examinations and tests (including examination in Hindi) as Government may deem fit, as a condition to satisfactory completion of the probation period.

(5) As regards other matters relating to probation, the members of the services shall be governed by the instructions issued by the Central Government in this regard from time to time.

8. Confirmation: Confirmation of Scientists appointed through direct recruitment shall be done by the Central Government on the recommendations of Departmental Confirmation Committee, the composition of which shall be as follows:

I. **For Scientists 'B', 'C', 'D', 'E' and 'F'**

1.	Secretary, Ministry of New and Renewable Energy	- Chairman
2.	Joint Secretary (Administration)	- Member
3.	Group Head/ Head of Division in which Scientist concerned is working or have worked(in case of Scientist 'E' and 'F' (Joint Secretary and above level).	- Member

II. **For Scientists 'G'**

1.	Secretary, Ministry of New and Renewable Energy	- Chairman
2.	Two Members of the level of Additional Secretary in Government of India.	- Members.

9. Appointing Authority. -

In the case of Scientist 'B', 'C', 'D', 'E', 'F' and 'G', the appointing authority will be Minister-in-Charge. (The approval of Appointment Committee of Cabinet (ACC) is mandatory in case of appointment / in-situ promotion to the post carrying grade pay of Rs. 10,000 or above, as on date).

10. Disqualification. - No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or;

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

11. **Liability to serve in the Defence Services**._ Any person appointed to any of the said posts shall, if so required, be liable to serve in any of the Defence Services or posts connected with the defence of India, for a period not more than four years including the period spent on training, if any:

Provided that services of such person shall not be required;

(a) after the expiry of ten years from the date of appointment;

(b) ordinarily to serve after attaining the age of forty years.

12. Liability of Scientists to serve in India and outside.- Scientists appointed to any of the said posts under these rules shall be liable to serve anywhere in India and outside.

13. Training courses.-(1) Scientists appointed shall be liable to undergo such training, as be detailed on courses of instruction in India or abroad as the Central Government may decide from time to time.

(2) The course shall include acquiring working knowledge of Hindi, as per standards prescribed by the Central Government from time to time.

(3) Successful completion of certain training courses like Foundation Course for newly recruited Scientist 'B' and Scientist 'C', as prescribed by Central Government, would be necessary for completion of probation period and consideration for FCS promotions.

(4) An officer detailed for training on course, the duration of which is six months or more or an officer detailed for training outside India or with private firms or factories in India, irrespective of the duration of the training, shall be liable to refund in full, the cost of training, if, for any reason, during the training or within a period of three years after the completion of such training, the officer chooses to discontinue the service.

14. Classification of posts for the purpose of medical standards.- All posts under these rules shall be deemed to be non-technical posts for purpose of medical standards as specified in the medical regulation and medical report for the Indian Administrative Service, Indian Foreign Service and the Central Services.

15. Power to relax._ Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Department of Personnel and Training and in matters where consultation with Union Public Service Commission is necessary, relax any of the provision of these rules with respect to any class or category of persons.

16. Saving.-Nothing in these rules shall effect reservation, relaxation of age-limitand other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE I

[See sub-rule (3) of rule 4]

Recruitment for the post of Scientist 'B'

1. Educational and other qualifications required for direct recruits.-

(a) Essential:

Master's degree in Natural or Agricultural Science or Bachelor's Degree in Engineering or Technology or Medicine from a recognised university or institute

(b) Desirable:

(i) Specialized experience in research and development or industrial or academic institutions or science and technology organisations. This experience shall be of a specific nature relevant to the job requirements of the post;

(ii) Doctorate degree in Natural or Agricultural Science or Master's Degree in Engineering or Technology in the discipline or subject relevant to the job requirements.

Note: 1 The specific educational qualifications and areas of experience according to the requirements of the post shall be specified at the time of recruitment by the Government.

Note: 2. The period spent to acquire essential qualifications including doctorate degree before joining an organisation shall not be counted as field experience.

2. Age-limit for direct recruits.-

The upper age-limitfor direct recruitment shall not exceed thirty-five years.

(Relaxable for Government servants' upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(In case of recruitment by promotion or deputation (including short-term contract) / absorption, grades from which deputation (including short-term contract) / absorption to be made.- Not applicable.

3. Screening and selection process for direct recruitment. The screening and selection process shall be as prescribed by the Central Government. The composition of the Eligibility Committee, Screening –cum-Short Listing Committee and Interview Board shall be prescribed by the Central Government. However, majority of the members in the Screening-cum-Short Listing Committee and Interview Board, including the Chairman shall be from outside the Ministry of New and Renewable Energy. If considered necessary, the screening process shall include a written test to be conducted by the Central Government directly or through any Central Government agency or organisation having experience and expertise in the area.

4. Departmental Promotion Committee (for consideration of promotion):

Not applicable

5. Consultation with Union Public Service Commission. - Not applicable.

SCHEDULE –II

[See sub-rule (4) of rule 4]

Recruitment for the posts of Scientists 'C' to Scientist 'G'

1. (A) Educational and other qualifications required for direct recruits (Scientist 'C').-

(a) Essential:

(i) Master's degree in Natural or Agricultural Science or Bachelor's Degree in Engineering or Technology or Medicine from a recognised university or institute;

(ii) four years' specialised experience in research and development or Industrial or academic institutions or science and technology organisations. The experience shall be of a specific nature relevant to the job requirements of the post.

(b) Desirable:

(i) Doctorate Degree or Master's Degree in Engineering or Technology in the discipline; subject to the job requirements;

(ii) experience in coordination, policy planning and project development in the area of new and renewable sources of energy.

Note: 1 The educational qualifications and areas of experience according to the requirements of the post shall be specified at the time of recruitment by the Government.

Note: 2 **The period spent to acquire essential qualifications including doctorate degree before joining an organisation shall not be counted as field experience.**

(B) Grades from which deputation (including short-term contract)/ absorption to be made (Scientist 'C')

Scientists or Technologists working in the Central Government or State Governments or universities or recognised research institutions or semi-Government or statutory or autonomous organisations in India or abroad:

(a) (i) holding analogous post on regular basis; or

(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay band -3, Rs. 15600-39100/- plus grade pay of Rs. 5400/- or equivalent; and

(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under serial number 1. (A) (a) above.

Note: 1 The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years, which may be extended further on year to year basis, subject to a maximum of five years with the approval of the competent authority.

Note: 2 Departmental candidates in the feeder category, who are in the direct line of in-situ promotion under FCS, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation except for the ex-cadre post for which they are not the feeder grade officers. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for in-situ promotion under FCS.

Note: 3 The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not exceed fifty-six years or as prescribed by Government from time to time, as on the closing date of receipt of applications.

Note: 4 Scientists from Central Government or State Governments or Union territory Administration shall be eligible for absorption.

2. (A) Educational and other qualifications required for direct recruits (Scientist 'D')

(a) **Essential:**

(i) Master's degree in Natural or Agricultural Science or Bachelor's Degree in Engineering or Technology or Medicine from a recognised university or institute;

(ii) eight years' specialised experience in research and development or industrial or academic institutions and or science and technology organizations out of which four years should be in science and technology programmes, planning development and coordination. The experience shall be of a specific nature relevant to the job requirements of the post.

(b) Desirable:

(i) Doctorate Degree or Master's Degree in Engineering or Technology in the discipline / subject to the job requirements;

(ii) experience in coordination, policy planning, project development in the area of new and renewable sources of energy including field assignment of original nature in the field of new and renewable energy at scientific or technical laboratories, institutes, industry, university or associations.

Note: 1 The educational qualifications and areas of experience according to the requirements of the post shall be specified at the time of recruitment by the Government.

Note: 2. The period spent to acquire essential qualifications including doctorate degree before joining an organisation shall not be counted as field experience.

(B) Grades from which deputation (including short-term contract) / absorption to be made (Scientist 'D')

Scientists or technologists working in the Central Government or State Governments or universities or recognised research institutions or semi-Government or statutory or autonomous organisations in India or abroad:

(a) (i) holding analogous post on regular basis; or

(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band-3, Rs. 15600-39100/- plus grade pay of Rs. 6600/- or equivalent; and

(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under serial number 2 (A) (a) above.

Note: 1 The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years, which may be extended further on year to year basis, subject to a maximum of five years with the approval of the competent authority.

Note: 2 Departmental candidates in the feeder category, who are in the direct line of in-situ promotion under FCS shall not be eligible for consideration for appointment on deputation except for the ex-cadre post for which they are not the feeder grade officers. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for in-situ promotion under FCS.

Note: 3 The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not exceed fifty six years or as prescribed by Government from time to time, as on the closing date of receipt of applications.

Note: 4 Scientists from Central Government or State Governments or Union territory Administrations shall be eligible for absorption.

3 (A) Educational and other qualifications required for direct recruits (Scientist 'E')

(a) Essential:

(i) Doctorate Degree in Natural or Agricultural Science or Master's Degree in Engineering or Technology or Medicine from a recognised university or institute;

(ii) ten years' specialised experience in research or development or design or construction in industrial or academic or Government institutions or organisations (the experience shall be of a special nature relevant to the job requirement of the post).

(b) Desirable:

(i) Experience of handling national and international programmes, with special reference to new and renewable sources of energy. The experience should cover innovation or research and development or management or assessment or application or extension or research and development including field assignment of original nature in the field of new and renewable energy at scientific or technical laboratories, institutes, industry, university or associations

(ii) knowledge about overall perspective of national energy problems and policies and ability to direct large integrated programmes.

Note: 1 The educational qualifications and areas of experience according to the requirements of the post shall be specified at the time of recruitment by the Government.

Note: 2 The period spent to acquire essential qualifications including doctorate degree before joining an organisation shall not be counted as field experience.

(B) Grades from which deputation (including short-term contract) / absorption to be made (Scientist 'E')

Scientists or Technologists working in the Central Government or State Governments or universities or recognised research institutions or semi-Government or statutory or autonomous organisation in India or abroad:

(a) (i) holding analogous post on regular basis; or

(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay band-3, Rs. 15600-39100/- plus grade pay of Rs. 7600/- or equivalent; and

(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under serial number 3 (A) (a) above.

Note: 1 The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or department of the Central Government shall not ordinarily exceed three years, which may be extended further on year to year basis, subject to a maximum of five years with the approval of the competent authority.

Note: 2 Departmental candidates in the feeder category, who are in the direct line of in-situ promotion under FCS, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation except for the ex-cadre post for which they are not the feeder grade officers. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for in-situ promotion under FCS.

Note: 3 The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not exceed fifty six years or as prescribed by Government from time to time, as on the closing date of receipt of applications.

Note: 4 Scientists from the Central Government or State Governments or Union Territory Administrations shall be eligible for absorption.

4. (A) Educational and other qualifications required for direct recruits (Scientist 'F')

(a) **Essential:**

(i) Doctorate Degree in Natural or Agricultural Science or Master's Degree in Engineering or Technology or Medicines from a recognised university or institute;

(ii) twelve years' specialised experience in research or development or design or construction in industrial or academic or Government institutions or organisations (the experience shall be of a special nature relevant to the job requirement of the post).

(b) Desirable:

(i) Experience of handling national and international programmes with special reference to new and renewable sources of energy. The experience should cover innovation or research and development or management or assessment or application or extension or research and development including field assignment of original nature in the field of new and renewable energy at scientific or technical laboratories, institutes, industry, university or associations;

(ii) knowledge about overall perspective of national energy problems and policies and ability to direct large integrated programmes.

Note: 1 The educational qualifications and areas of experience according to the requirements of the post shall be specified at the time of recruitment by the Government.

Note: 2 The period spent to acquire essential qualifications including doctorate degree before joining an organisation shall not be counted as field experience.

(B) Grades from which deputation (including short-term contract to be made (Scientist 'F')

Scientists or Technologists working in the Central Government or State Governments or universities or recognised research Institutions or semi-Government or statutory or autonomous organisations in India or abroad:

(a) (i) holding analogous post on regular basis; or

(ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band-4, Rs. 37400-67000 plus grade pay of Rs. 8700 or equivalent; and

(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under serial number 4 (A) (a) above.

Note: 1 The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years, which may be extended further on year to year basis, subject to a maximum of five years with the approval of the competent authority.

Note: 2 Departmental candidates in the feeder category, who are in the direct line of in-situ promotion under FCS, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation except for the ex-cadre post for which they are not the feeder grade officers. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for in-situ promotion under FCS.

Note: 3 The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not exceed fifty-six years or as prescribed by Government from time to time, as on the closing date of receipt of applications.

5. (A) Educational and other qualifications required for direct recruit (Scientist 'G').-

(a) **Essential:**

(i) Doctorate Degree in Natural or Agricultural Science or Master's Degree in Engineering or Technology or Medicine from a recognised university or institute;

(ii) fifteen years' experience in innovation or research or development or demonstration or design or construction in industrial or academic or Government institutions or organisations, out of which at least five years should be at senior level post in administering, planning, development or coordination of science and technology programmes in the areas related to new and renewable sources of energy.

(b) Desirable:

(i) Experience of handling national and international programmes with special reference to new and renewable sources of energy. The experience should cover innovation or research and development or management or assessment or application or extension or research and development including field assignment of original nature in the field of new and renewable energy at scientific or technical laboratories, institutes, industry, university or associations;

(ii) knowledge about overall perspective of national energy problems and policies and should be able to direct large scale coordinated and integrated programmes.

Note: 1 The educational qualifications and areas of experience according to the requirements of the post shall be need based and shall be specified at the time of recruitment by the Government.

Note: 2 The period spent to acquire essential qualifications including doctorate degree before joining an organisation shall not be counted as field experience.

(B) Grades from which deputation (including short-term contract) to be made (Scientist 'G')

Scientists or Technologists working in the Central Government or State Governments or universities or recognised research institutions or semi-Government or statutory or autonomous organisations in India or abroad:

(a) (i) holding analogous post on regular basis; or

(ii) with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in pay band-4, Rs. 37400-67000 plus grade pay of Rs. 8900 or equivalent; and

(b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under serial number 5 (A) (a) above.

Note: 1 The period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years, which may be extended further on year to year basis, subject to a maximum of five years with the approval of the competent authority.

Note: 2 Departmental candidates in the feeder category, who are in the direct line of in-situ promotion under FCS, shall not be eligible for consideration for appointment on deputation except for the ex-cadre post for which they are not the feeder grade officers. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for in-situ promotion under FCS.

Note: 3 The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not exceed fifty six years or as prescribed by Government from time to time, as on the closing date of receipt of applications.

6. Age-limit for direct recruits.-

The upper age-limit for direct recruits in each category of posts shall be as under:-

Serial number	Name of the post	Age limit
1.	Scientist 'C'	35 years
2.	Scientist 'D'	40 years
2.	Scientist 'E'	45 years
2.	Scientist 'F'	50 years
2.	Scientist 'G'	50 years

(Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time.)

Note: 1. The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

7. Screening and selection process (applicable for direct recruitment and deputation). - The screening and selection process shall be as prescribed by Central Government. The composition of the Eligibility Committee, Screening–cum-Short Listing Committee and Interview Board shall be as prescribed by the Central Government. However, majority of the members in the Screening-cum-Short Listing Committee and Interview Board, including the Chairman shall be from outside the Ministry of New and Renewable Energy. If considered necessary, the screening process shall include a written test to be conducted by the Central Government directly or through any other Central Government agency or organisation having experience and expertise in the area.

8. The Composition of Screening Committee and Assessment Boards and Approving Authorities of their recommendations for considering promotions under FCS shall be as specified in the corresponding entries in the Table given below:-

Serial number.	Grade to which promotions shall be made.	Composition of Screening Committee.	Approving Authority for Screening Committee's recommendations.	Composition of Assessment Board for direct recruitment / in-situ upgradation under Modified Flexible Complementing Scheme.	Approving Authority for Assessment of Board's recommendations.
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1.	Scientist 'G'	Screening Committee shall consist of a Chairman and at least three expert members to be nominated by the Secretary, Ministry of New and Renewable Energy. Provided that at least one member shall be from Department of Science and Technology or Department of Space or Defence Research and Development Organisation.	The approving authority for the recommendations of the Screening Committee shall be the Secretary, Ministry of New and Renewable Energy. The Screening Committee will also act as Internal Peer Review Group / Committee.	<u>Composition of Assessment Board / DPRC</u> 1. Secretary, Ministry of New and Renewable Energy **-Chairman;** 2. two Secretaries of other Scientific Ministries or Departments **- Members;** 3. three eminent Scientists at least one level above Scientist 'G' specialising in the field of scientific activity. **- Members;** 4. the nominee of the Department of Personnel and Training as per extant instructions. The Assessment Board / Departmental Peer Review Committee shall also function as Special Peer Review Committee and shall specifically certify that the Scientists recommended, meet all the criteria for in-situ upgradation under Modified Flexible Complementing Scheme.	Minister-in-charge, Ministry of New and Renewable Energy *

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Scientist 'F'	Screening Committee shall consist of a Chairman and at least three expert members to be nominated by the Secretary, Ministry of New and Renewable: Energy. Provided that at least one member shall be from Department of Science and Technology or Department of Space or Defence Research and Development Organisation.	The approving authority for the recommendations of the Screening Committee shall be the Secretary, Ministry of New and Renewable Energy. The Screening Committee will also act as Internal Peer Review Group / Committee.	Composition of Assessment Board / DPRC 1. Secretary, Ministry of New and Renewable Energy **-Chairman;** 2. two Secretaries of other Scientific Ministries or Departments **- Members;** 3. three eminent Scientists at least one level above Scientist 'F' specialising in the field of scientific activity. **- Members;** 4. the nominee of the Department of Personnel and Training as per extant instructions. The Assessment Board / Departmental Peer Review Committee shall also function as Special Peer Review Committee and shall specifically certify that the Scientists recommended meet all the criteria for in-situ up gradation under Modified Flexible Complementing Scheme.	Minister-in-charge, Ministry of New and Renewable Energy *
Note: * The approval of Appointment Committee of Cabinet (ACC) is mandatory in case of appointment / in-situ promotion to the post carrying grade pay of Rs. 10,000/- or above, as on date.					
3.	Scientist 'C' 'D' and 'E'	Screening Committee shall consist of a Chairman and at least three expert members to be nominated by the Secretary, Ministry of New and Renewable Energy: Provided that at least one member shall be from Department of Science and	The approving authority for the recommendations of the Screening Committee shall be the Secretary, Ministry of New and Renewable Energy. The Screening Committee will also act as Internal Peer Review Group / Committee.	Composition of Assessment Board / DPRC 1. Secretary, Ministry of New and Renewable Energy or his nominee not below the rank of Joint Secretary or Head of Institute or Scientist 'G' **-Chairman;** 2. two Heads of the Group in Ministry of New and Renewable Energy. **- Members;**	Minister-in-charge Ministry of New and Renewable Energy.

		Technology or Department of Space or Defence Research and Development Organisation.		3. three experts not below the level of Scientist 'G' from outside the Department including at least one from Department of Science and Technology or Department of Space or Defence Research Development Organisations **-Members;**	

SCHEDULE III

[See rule 5]

(Modified Flexible Complementing Scheme)

1. The Flexible Complementing Scheme (FCS) is an in-situ promotion scheme for Scientists for which criteria shall be proven merit and records of research. The assessment norms for promotion under FCS shall be rigorous. Due emphasis shall be laid on evaluation of professional contribution and technical knowledge to ensure that only Scientists having to their credit, demonstrable achievements, higher level of technical merit are recommended. Scientists recommended shall not only possess the requisite qualifications, but, should also be engaged in scientific and innovative activities as distinct from mere application to technical knowledge and further, the function discharged by them are relatable or identifiable to their academic specialization.

2. Scientists or technical experts doing management or administrative work in the Ministries shall not be considered for upgradation under FCS. However, they shall be given benefit of upgradation under the Modified Assured Career Progression Scheme.

3. The Scientists appointed on deputation (including short-term contract) shall not be eligible for Flexible Complementing Scheme promotions (FCS). Only regular Scientists of the Ministry of New and Renewable Energy shall be eligible for FCS promotion.

4. There shall be no retrospective promotions under FCS. The promotions under FCS shall be effective from the date these are approved by the appointing authority.

5. The promotions under FCS shall be limited to post carrying a grade pay of Rs. 10,000/- or lower.

6. The promotion under FCS shall be applicable only to those Scientists and Technologists who hold scientific posts and are engaged in scientific activities and services and defined specified in these rules. For promotions under FCS, the Scientists shall possess the following essential qualification; namely._

Master's degree in Natural or Agricultural Science or Bachelor's Degree in Engineering or Technology or Medicine from a recognised University or institute

7. All the posts covered under FCS shall carry the following uniform pay band and grade pay, designation and the minimum residency period linked to performance as follows:—

Serial number	Pay band and grade pay or pay scale	Designation	Minimum residency period linked to performance
1.	Pay band-3, Rs.15600-39100/- with grade pay of Rs. 5400/-	Scientist 'B'	3 years
2.	Pay band-3, Rs.15600-39100/- with grade pay of Rs. 6600/-	Scientist 'C'	4 years
3.	Pay band-3, Rs.15600-39100/- with grade pay of Rs. 7600/-	Scientist 'D'	4 years
4.	Pay band-4, Rs.37400-67000/- with grade pay of Rs. 8700/-	Scientist 'E'	5 years
5.	Pay band-4, Rs.37400-67000/- with grade pay of Rs. 8900/-	Scientist 'F'	5 years

6.	Pay band-4, Rs.37400-67000/- with grade pay of Rs. 10000/-	Scientist 'G'	-

8. The following period of service shall count towards the minimum residency period necessarily required to be put in the lower grade promotion in the next higher grade namely;

(i) the period spent on deputation or foreign service to another scientific post which helps a Scientist to acquire scientific experience in a diverse set up;

(ii) period of study leave or any other leave taken for the academic accomplishment to improve scientific knowledge;

(iii) maternity leave sanctioned as per leave rules shall be treated as duty while counting the minimum residency period for promotions under FCS;

(iv) leave of a maximum period of one year sanctioned in continuation of maternity leave as per leave rules may also be treated at par with maternity leave and this period may consequently be taken into account while counting the minimum residency period;

(v) earned leave and or Child Care Leave (CCL) for a total period not exceeding 180 days sanctioned as per leave rules shall also be taken into account while computing residency period;

(vi) the period spent on deputation or foreign service to a non-scientific post and the period of leave including leave on medical grounds, availed on personal grounds shall not count towards the minimum residency period.

9. The regular service rendered, excluding ad-hoc service, non-qualifying service, in a post shall count for the purpose of review for promotion to the next higher grade under FCS.

10. The exceptionally meritorious candidate with all outstanding grading shall be granted relaxation in the residency period, the relaxation being not more than one year on any single occasion, limited to a maximum of two occasions in their entire career.

11. Field experience in research and development and experience in implementation of such scientific projects is compulsory for promotion of Scientists recruited to the posts in the Secretariat of the Scientific Ministries or Departments to higher grade under FCS.

12. Field experience, of at least two years and five years respectively shall be essential for promotion to Scientist 'F' and Scientist 'G' grades respectively.

13. The criteria for field experience for different scientific activities have been elaborated under scientific activities and services rules. To meet this requirement, existing Scientists with Ministry of New and Renewable Energy shall be considered for appointment on deputation basis to the scientific laboratories or institutes or universities or other relevant scientific activities.

14. The period spent on acquiring essential qualifications prescribed for direct recruits shall not count towards experience. However, period spent on obtaining doctorate degree from a recognised University or institution in case where doctorate degree is not an essential qualification, subject to a maximum of two years, and period spent on post doctorate research in a University or research Institute, as evidenced by certification by such University or institute and publication of research work in journals of repute, subject to maximum of two years, shall be counted as experience.

15. The eligible Scientists shall be given three chances for assessment for FCS for the next grade. In case a Scientist does not qualify under FCS for three successive years or chances for upgradation to next higher grade, he shall be considered for upgradation to the next grade according to the provisions of the Modified Assured Career Progression Scheme issued by the Government of India.

16. The assessment process of the Board shall be as under:

(a) the process for promotions under FCS shall be as prescribed by the Central Government in accordance with the FCS guidelines issued by DOPT from time to time;

(b) the process for assessment for FCS promotions shall be undertaken twice a year, as on 1st of January and 1st of July every year. The process shall be initiated at least three months in advance;

(c) cases of those Scientists who have completed or will complete the minimum residency period as on the cut-off dates of assessment viz. 1st January or 1st July, as the case may be, and have earned or will earn number of annual ACRs /AP ARs equal to or more than the number of years of minimum residency period for the period of preceding the cut off dates of assessment, shall be considered for FCS assessment.

17. There shall be two level of assessment for FCS. The assessment procedure shall be as under:

(A) Level 1 Screening (Internal)

(a) An internal Screening Committee shall be constituted by the Central Government for evaluation of annual work report vis a vis the criteria for up-gradation under FCS. Level 1 Screening Committee shall assess the Scientists based on Annual Confidential Reports or Annual Performance Appraisal Report and give its report and recommendations with specific reasons on 'screening in' or screening out' of the eligible candidates.

(b) Candidates who are 'screened out' in Level 1 screening process shall be considered again after one year when they earn at least one more Annual Confidential Report or Annual Performance Appraisal Report and shall be subjected to the prescribed screening process again.

(c) All Scientists eligible according to the provisions of FCS and who meet the benchmark of 'Good' for upgradation to Scientist 'C' and 'Very Good' for upgradation to Scientist 'D' and above would be screened in. The internal Screening Committee would report on the scientific content of work done by the Scientist in the prescribed format and same would be made available to the external assessment committee.

(B) Level 2 Screening (External) – Assessment Board or Departmental Peer Review Committee (DPRC).-

(a) An Assessment Board shall be constituted by the Central Government for FCS for up-gradation / in-situ promotion under FCS / MFCS up to Scientist 'E'. The Assessment Board would have the characteristics of an independent Peer Review Group for assessment of the scientific content of the work. The Departmental Peer Review Committee (DPRC) shall undertake level 2 screening for assessment of Scientists for their suitability for Scientist 'F' or Scientist 'G'.

(b) The composition of the level 2 Screening Committee/(Assessment Board/DPRC) shall be decided by the Central Government in accordance with guidelines of Department of Personnel and Training issued from time to time.

(c) Scientists 'screened in' by the Level 1 Screening Committee shall be placed before the Assessment Board (for FCS promotions up to level 'E') or before the DPRC (for promotions to Scientist 'F' and 'G' level).

(d) Such 'screened in' candidates shall be called for interview by level 2 Screening Committee (the Assessment Board or DPRC), as the case may be.

(e) Level 2 Screening Committee shall be free to devise its process and procedure for assessment, which may include presentations by the candidates and interview.

(f) The Assessment Board or DPRC shall, in each case, document specifically through a one page summary, specific content of work done justifying the merit and suitability of candidates for in-situ promotion to the next higher grade.

(g) The Assessment Board or DPRC shall specifically certify that the Scientist recommended meet all the criteria for in-situ promotion under FCS as prescribed under the rules.

(h) The Level 2 Screening Committee shall make its recommendation on the basis of Annual Work Reports, presentation made by the candidate before it, performance during the interview, academic and professional record of the candidates, research and development experience of the candidates evidenced by publication of research work in journals of repute, and such other factors or parameters as the Assessment Board or DPAR may consider necessary.

18. Candidates who fail to obtain the minimum required marks in the Level 2 Screening as prescribed by the Central Government shall go through the entire screening process that is Level 1 Screening and Level 2 Screening again after one year, when they earn at-least one more Annual Confidential Report or Annual Performance Appraisal Report.

19. Successful completion of two to four weeks training in the relevant field or subject (to be prescribed by the Ministry) is necessary for in-situ promotion under the Flexible Complementing Scheme (FCS).

[F. No. 30(1)/2011-14-Admn.I]

VARSHA JOSHI, Jt. Secy.(Admn.)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.